

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान
और प्रशिक्षण परिषद्

वार्षिक लेखा
2021-22

विद्यया ऽ मृतमश्नुते



एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

वार्षिक लेखा

2021-22

विद्यया ऽ मृतमश्नुते



एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

नवंबर 2022

कार्तिक 1944

PD 2H RPS

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2022

एन.सी.ई.आर.टी. के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय				
एन.सी.ई.आर.टी. कैम्पस श्री अरविंद मार्ग नयी दिल्ली 110 016	108, फ्रीट रोड हेली एक्सटेंशन, होस्टेकेरे बनाशंकरी III स्टेज बेंगलुरु 560 085	नवजीवन ट्रस्ट भवन डाकघर नवजीवन अहमदाबाद 380 014	सी.डब्ल्यू.सी. कैम्पस निकट धनकल बस स्टॉप पनिहटी कोलकाता 700 114	सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लेक्स मालीगाँव गुवाहाटी 781 021

“प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है।
यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन ही मान्य होगा”

विषय-सूची

विषय	अनुसूची	पृष्ठ सं.
क. तुलन पत्र		1
i) पूँजीगत निधि	1	2
ii) अभिहित/उद्दिष्ट/अक्षय निधियाँ	2	3
iii) अक्षय निधियाँ	2 (अ)	4
iv) चालू देयताएँ एवं प्रावधान	3	5
v) प्रायोजित परियोजनाएँ	3 (अ)	6-8
vi) प्रायोजित अध्येतावृत्तियाँ एवं छात्रवृत्तियाँ	3 (ब)	9
vii) भारत सरकार से प्राप्त अप्रयुक्त अनुदान	3 (स)	10
viii) स्थायी परिसंपत्तियों का समेकित विवरण (पूँजीगत + राजस्व)	4	11-12
ix) स्थायी परिसंपत्तियाँ (पूँजीगत)	4 (अ)	13-14
x) स्थायी परिसंपत्तियाँ (राजस्व)	4 (ब)	15-16
xi) पूँजी	4 (स)	17
xii) परिसंपत्तियाँ — अन्य (उपहारस्वरूप/प्रायोजित परियोजनाएँ)	4 (द)	18
xiii) उद्दिष्ट/अक्षय निधियों में से निवेश	5	19
xiv) उद्दिष्ट/अक्षय निधियों में से निवेश (निधिवार)	5 (अ)	19
xv) निवेश एवं अन्य	6	20
xvi) चालू परिसंपत्तियाँ	7	21
xvii) बैंक खातों का विवरण	7 (अ)	22
xviii) ऋण, अग्रिम एवं जमा	8	23
xix) प्रायोजित परियोजनाओं के संदर्भ में देनदार	8 (अ)	24
ख. आय एवं व्यय लेखा		25
i) अकादमिक प्राप्तियाँ	9	26
ii) अनुदान/सहायिकियाँ (प्राप्त अशोध्द्य अनुदान) 2021-22	10	27
iii) निवेशों से आय	11	28
iv) अर्जित ब्याज	12	29

विषय	अनुसूची	पृष्ठ सं.
v) अन्य आय	13	30
vi) पूर्वावधि आय	14	31
vii) स्टाफ़ भुगतान एवं हितलाभ (स्थापना व्यय)	15	32
viii) कर्मचारी सेवानिवृत्ति और सेवांत हितलाभ	15 (अ)	33
ix) अकादमिक व्यय	16	34
x) प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय	17	35
xi) परिवहन व्यय	18	36
xii) मरम्मत एवं रखरखाव	19	37
xiii) वित्त लागत	20	38
xiv) अन्य व्यय	21	39
xv) पूर्वावधि व्यय	22	40
ग. 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा		41–43
घ. सामान्य भविष्य निधि लेखा — 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र		44
ङ. सामान्य भविष्य निधि लेखा— 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा		45
च. सामान्य भविष्य निधि लेखा— वित्तीय वर्ष 2021–22 की प्राप्ति एवं भुगतान लेखा		46
छ. नयी पेंशन योजना— 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र		47
ज. नयी पेंशन योजना— 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा		48
झ. नयी पेंशन योजना— 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा		49–50
ञ. 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	23	51–54
ट. 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा पर टिप्पणियाँ	24	55–59
ठ. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के लेखा पर 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट		60–63
ड. पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक		64

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
क. 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

राशि ₹ में

निधियों के स्रोत	अनुसूची	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
समग्र/पूँजीगत निधि	1	(2,27,56,83,682)	(4,86,01,17,294)
अभिहित/उद्दिष्ट/अक्षय निधियाँ	2	—	—
चालू देयताएँ और प्रावधान	3	20,69,52,28,145	21,95,70,57,727
कुल		18,41,95,44,463	17,09,69,40,433

निधियों का प्रयोग	अनुसूची	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
स्थायी परिसंपत्तियाँ	4		
मूर्त परिसंपत्तियाँ		1,89,78,02,752	1,66,64,86,477
अमूर्त परिसंपत्तियाँ		59,87,492	38,90,966
चालू पूँजीगत कार्य			
उद्दिष्ट/अक्षय निधियों में से निवेश	5	—	—
दीर्घकालीन		—	—
अल्पकालीन		—	—
निवेश – अन्य	6	1,50,92,97,306	1,46,93,02,306
चालू परिसंपत्तियाँ	7	12,93,07,78,386	11,60,98,69,744
ऋण, अग्रिम और जमा	8	2,07,56,78,527	2,34,73,90,940
कुल		18,41,95,44,463	17,09,69,40,433

मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 1 — पूँजीगत निधि

		राशि ₹ में	
विवरण		चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
	वर्ष के प्रारंभ में शेष	(4,86,01,17,294)	(5,86,07,73,780)
जमा —	पूँजीगत निधि में उपयोग	20,33,27,519	37,56,94,520
जमा —	भारत सरकार से प्राप्त अनदानों में से पूँजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त	-	-
जमा —	उद्दिष्ट निधियों में से क्रय की गई परिसंपत्तियाँ	-	-
जमा —	प्रायोजित परियोजनाओं में से क्रय की गई परिसंपत्तियाँ, जहाँ संस्था का स्वामित्व हो	6,95,15,282	-
जमा —	दान की गई परिसंपत्तियाँ/प्राप्त किए गए उपहार	31,38,489	48,311
जमा —	अन्य परिवर्धन/समायोजन	(30,59,241)	(4,08,164)
जमा —	आय के व्यय से आधिक्य को आय एवं व्यय लेखा में से हस्तांतरित किया गया	2,31,15,11,563	62,53,21,819
	कुल	(2,27,56,83,682)	(4,86,01,17,294)
घटा—	व्यय के आय से आधिक्य को आय एवं व्यय लेखा में से हस्तांतरित	-	-
	वर्ष के अंत में शेष	(2,27,56,83,682)	(4,86,01,17,294)

मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 2 — अभिहित/उद्दिष्ट/अक्षय निधियाँ

राशि ₹ में

विवरण	निधिवार विवरण				कुल	
	निधि अ अ अ	निधि ब ब ब	निधि स स स	अक्षय निधियाँ	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
अ.						
क) आदि शेष	-	-	-	-	-	-
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	-	-	-	-
ग) निधियों में से किए गए निवेश से आय	-	-	-	-	-	-
घ) निवेश/अग्रिम पर प्रोद्भूत ब्याज	-	-	-	-	-	-
ङ) बचत बैंक खाते पर ब्याज	-	-	-	-	-	-
च) अन्य परिवर्धन (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-
कुल (अ)	-	-	-	-	-	-
ब.						
निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोग/व्यय						
i) पूँजीगत व्यय	-	-	-	-	-	-
ii) राजस्व व्यय	-	-	-	-	-	-
कुल (ब)	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में अंतः शेष (अ-ब)	-	-	-	-	-	-
निम्नलिखित द्वारा दर्शाया गया है—						
नकद एवं बैंक शेष	-	-	-	-	-	-
निवेश	-	-	-	-	-	-
प्रोद्भूत ब्याज किंतु अदेय	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-

मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 3 — चालू देयताएँ एवं प्रावधान

राशि ₹ में

विवरण	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
अ. चालू देयताएँ		
1. स्टॉफ़ द्वारा जमा	-	-
2. विद्यार्थियों/विद्यालयों द्वारा जमा	48,92,732	48,92,732
3. विविध लेनदार		
अ) वस्तुएँ एवं सेवाओं के लिए	27,82,12,989	18,31,46,812
ब) अन्य	(19,40,115)	(19,40,115)
4. जमा-अन्य (ई.एम.डी., प्रतिभूति जमा सहित)	10,11,17,963	7,31,18,516
5. सांविधिक देयताएँ (जी.पी.एफ़., टी.डी.एस., डब्ल्यू.सी. टैक्स, सी.पी.एफ़., जी.आई.एस., एन.पी.एस.) —		
अ) अतिदेय	-	-
ब) अन्य	1,64,95,70,278	1,58,16,43,391
6. अन्य चालू देयताएँ		
क) वेतन	72,60,557	4,39,882
ख) पेंशन	-	36,752
ग) प्रायोजित अध्येतावृत्तियों एवं छात्रवृत्तियों के संबंध में प्राप्तियाँ	-	-
घ) प्रायोजित परियोजनाओं के संबंध में प्राप्तियाँ	11,26,62,079	33,68,51,667
ड) अप्रयुक्त अनुदान	24,75,51,690	43,11,38,217
च) अग्रिम अनुदान	-	-
छ) अन्य निधियाँ	-	-
ज) अन्य देयताएँ	1,53,32,94,140	67,48,55,264
कुल (अ)	3,93,26,22,314	3,28,41,83,118
ब. प्रावधान		
1. कराधान	-	-
2. उपदान	87,84,49,498	76,10,14,463
3. अधिवर्षिता पेंशन	15,10,85,94,375	17,21,50,80,302
4. संचित छुट्टी नकदीकरण	77,55,61,958	69,67,79,844
5. व्यापारिक वारंटी/दावे	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल (ब)	16,76,26,05,831	18,67,28,74,609
कुल (अ+ब)	20,69,52,28,145	21,95,70,57,727

मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
31.03.2022 को विशिष्ट अनुदानों के अंतर्गत कोषों की स्थिति

अनुसूची 3 (अ) — प्रायोजित परियोजनाएँ

राशि ₹ में

क्र. सं.	परियोजना का नाम	प्रायोजक एजेंसी	01.04.2021 को आदि शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ/वसूली	कुल	वर्ष के दौरान व्यय	31.03.2022 को अंतिम शेष
		1	2	3	4 (2+3)	5	6 (4-5)
1.	पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा मिशन, आई.यू.सी.टी.ई.	शिक्षा मंत्रालय	-	50,00,000	50,00,000	42,25,869	7,74,131
2.	(एस.एस.आई.एस. सभी परियोजनाएँ) आर.एम.एस.ए. (कला उत्सव सहित) आर.एम.एस.ए. प्रकोष्ठ, मध्यावधि सर्वेक्षण/एन.ए.एस. कक्षा V-VIII (एस.एस.आई.एस.-ई.एस.डी.) के तहत माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता को सुदृढ़ करना, क्यू.एम.टी. की पी.ए.बी. अनुमोदित परियोजना के लिए एस.एस.ए. के तहत अनुदाना प्रारंभिक साक्षरता कार्यक्रम और समूह अंकगणित (एस.एस.आई.एस.-डी.ई.ई.टी.), सी.आई.ई.टी. (निष्ठा) और पी.ए.बी. परियोजना: आर.एम.एस.ए.-ई.एस.डी./एन.ए.एस., एन.आर.ओ.ई.आर., आई.सी.टी., मेला के तहत माध्यमिक स्तर पर अधिगम के स्तर के आधारभूत मूल्यांकन के संचालन के लिए पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम का विकास, प्रारंभिक गतिविधियाँ /आई.सी.टी. शिक्षा में आई.सी.टी. के उपयोग के लिए अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार (सी.आई.ई.टी.), दीक्षा सी.आई.ई.टी., आर.आई.ई., पी.एम. ई-विद्या का प्रबंधन (एक वर्ग, एक चैनल, रेडियो, प्रसारण, पॉडकास्ट) और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एन.सी.एफ.) का विकास (एस.जी. 2+5+6+23 दीक्षा)	शिक्षा मंत्रालय	24,94,28,862	67,54,22,639	92,48,51,501	84,02,16,844	8,46,34,657
3.	टेलीविजन द्वारा पारस्परिक विचार – विमर्श के माध्यम से सेवाकालीन प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण (आई.पी.वी.टी. – आई.टी.वी.)	शिक्षा मंत्रालय	2,29,57,891	-	2,29,57,891	-	2,29,57,891

4.	सी.सी.ई. के विद्यमान एन.ए.एस. आंकड़ों के सुदृढीकरण के लिए विश्लेषण तथा प्रचार – प्रसार और विद्यालय आधारित मूल्यांकन एवं अधिगम संसाधन का विकास (ई.एस.डी.)	यूनिसेफ	1,23,001	-	1,23,001	-	1,23,001
5.	जेंडर समानता के परिप्रेक्ष्य से शिक्षा और कौशल विकास पर नीति अनुसंधान – भारत और कोरिया का एक तुलनात्मक अध्ययन (डी.जी.एस.)	कोरिया फाउंडेशन (के.एफ.)	25,230	-	25,230	-	25,230
6.	राष्ट्रीय कौशल अर्हता की रूपरेखा (एन.एस.क्यू.एफ. – पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई.)	शिक्षा मंत्रालय	11,10,407	-	11,10,407	-	11,10,407
7.	स्वैच्छिक एजेंसियों को प्रयोगात्मक नवाचारी कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता अनुदान की योजना	शिक्षा मंत्रालय	9,27,429	-	9,27,429	-	9,27,429
8.	अध्ययन परियोजना (डी.पी.ई.पी.)	शिक्षा मंत्रालय	5,55,163	-	5,55,163	-	5,55,163
9.	यूनेस्को (सी.आई.ई.टी.)	यूनेस्को	2,65,568	-	2,65,568	-	2,65,568
10.	विद्यालय में केंद्र प्रायोजित योजना आई.सी.टी. के अंतर्गत सभी एस.आई.ई.टी. में उपकरणों का प्रतिस्थापन (सी.आई.ई.टी.)	शिक्षा मंत्रालय	2,20,177	-	2,20,177	-	2,20,177
11.	प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारंभिक आयु वर्ग के बच्चों के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों का पूर्व – स्वीकृत मूल्यांकन	शिक्षा मंत्रालय	2,04,358	-	2,04,358	-	2,04,358
12.	स्वयं प्रभा	शिक्षा मंत्रालय	34,12,791	-	34,12,791	25,79,218	8,33,573
13.	माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की छात्राओं के लिए छात्रावास सुविधाओं को सुदृढ करने के लिए योजना का मूल्यांकन	शिक्षा मंत्रालय	23,831	-	23,831	-	23,831
14.	डी.पी.ई.पी. के अंतर्गत आधार रेखा उपलब्धि सर्वेक्षण	शिक्षा मंत्रालय	5,607	-	5,607	-	5,607
15.	वर्ष 2010-11 के दौरान विद्यालय में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) की केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत “माध्यमिक गणित का आई.सी.टी. के साथ शिक्षण” परियोजना के कार्यान्वयन के लिए	शिक्षा मंत्रालय	1,056	-	1,056	-	1,056
16.	डी.टी.एच. टी.वी. चैनल	शिक्षा मंत्रालय	(4,91,039)	-	(4,91,039)	-	(4,91,039)
17.	सी-डैक (सी.आई.ई.टी.)	सी-डैक	(12,439)	-	(12,439)	-	(12,439)

18. उपग्रह नेटवर्क	शिक्षा मंत्रालय	(8,45,132)	-	(8,45,132)	-	(8,45,132)
19. तृतीय पक्ष मूल्यांकन	शिक्षा मंत्रालय	(8,88,229)	-	(8,88,229)	-	(8,88,229)
20. ई-पीजी पाठशाला	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	(6,85,312)	-	(6,85,312)	-	(6,85,312)
21. प्रौढ़ शिक्षा का सुदृढीकरण, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम (एन.आई.एल.पी.) (एस.जी. 31)	शिक्षा मंत्रालय	-	-	-	55,99,649	(55,99,649)
22. मूक्स	शिक्षा मंत्रालय	30,55,850	-	30,55,850	31,20,576	(64,726)
कुल		27,93,95,070	68,04,22,639	95,98,17,709	85,57,42,156	10,40,75,553

विशिष्ट परियोजना के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अनुदान का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है, जिसके लिए इसे प्राप्त किया गया और इसके साथ संलग्न शर्तों को भी विधिवत् पूरा किया गया है। अनुसूची संख्या 8 में विशिष्ट अनुदानों का ऋण एवं अग्रिम में नामे शेष (ऋणात्मक शेष) दर्शाया गया है।

* वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 से बिन्दु संख्या 23 (वार्षिक लेखा 2020-21) को एस.एस.आई.एस. (समग्र शिक्षा एकीकृत योजना क्रमांक 2 के साथ विलय किया गया है) एवं इस पर वर्ष 2021-22 के लिए सी.आई.ई.टी. रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा ₹ 4,94,22,639/- का व्यय किया गया, जिसकी प्रतिपूर्ति मार्च, 2022 में दीक्षा के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई है।

∞ * दीक्षा (एक राष्ट्र - एक डिजिटल प्लेटफॉर्म), दीक्षा का नया नाम है।

मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 3 (ब) — प्रायोजित अध्येतावृत्तियाँ एवं छात्रवृत्तियाँ

राशि ₹ में

क्र. सं.	प्रायोजक का नाम	1.04.2021 को आदि शेष		वर्ष 2021-22 के दौरान लेन-देन		31.03.2022 को अंतः शेष	
		जमा	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे
1.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	-	-	-	-	-	-
2.	मंत्रालय	-	-	-	-	-	-
3.	अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-
	कुल	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी—

- कॉलम 7 (जमा) का योग उपर्युक्त शीर्ष के अंतर्गत तुलन पत्र के देयता पक्ष में दर्शाया जाएगा। (अनुसूची 3)
- कॉलम 8 (नामे) का योग अनुसूची 8 (ऋण) में तुलन पत्र के परिसंपत्तियाँ पक्ष में प्राप्य के रूप में दर्शाया जाएगा।

मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 3 (स) — भारत सरकार से प्राप्त अप्रयुक्त अनुदान

राशि ₹ में

विवरण	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
अ. पूँजी अनुदान — भारत सरकार		
अग्रणीत शेष	—	—
जमा — वर्ष के दौरान प्रयुक्त आंतरिक प्राप्तियाँ	30,59,241	4,08,164
जमा — अर्जित ब्याज	—	—
जमा — वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	18,36,14,004	35,00,00,000
कुल (क)	18,66,73,245	35,04,08,164
घटा — प्रतिदाय	—	—
घटा — राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त	—	—
घटा — पूँजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त	18,66,73,245	35,04,08,164
कुल (ख)	18,66,73,245	35,04,08,164
अप्रयुक्त अग्रणीत (क-ख)	—	—
ब. यू.जी.सी. अनुदान — पूँजीगत		
अग्रणीत शेष	—	—
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	—	—
कुल (ग)	—	—
घटा — प्रतिदाय	—	—
घटा — राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त	—	—
घटा — पूँजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त	—	—
कुल (घ)	—	—
अप्रयुक्त अग्रणीत (ग-घ)	—	—
स. राजस्व अनुदान — भारत सरकार		
अग्रणीत शेष	43,11,38,217	6,68,98,221
जमा — वर्ष के दौरान प्रयुक्त आंतरिक प्राप्तियाँ	—	—
जमा — अर्जित ब्याज	—	—
जमा — वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	3,01,38,02,735	3,53,42,00,000
कुल (ङ)	3,44,49,40,952	3,60,10,98,221
घटा — प्रतिदाय	—	—
घटा — राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त	3,18,07,34,988	3,14,46,73,648
घटा — पूँजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त	1,66,54,274	2,52,86,356
कुल (च)	3,19,73,89,262	3,16,99,60,004
अप्रयुक्त अग्रणीत (ङ-च)	24,75,51,690	43,11,38,217
द. राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान		
अग्रणीत शेष	—	—
जमा — वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	—	—
कुल (छ)	—	—
घटा — राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त	—	—
घटा — पूँजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त	—	—
कुल (ज)	—	—
अप्रयुक्त अग्रणीत (छ-ज)	—	—
कुल योग (अ+ब+स+द)	24,75,51,690	43,11,38,217

मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 4 — स्थायी परिसंपत्तियों का समेकित विवरण (पूँजीगत + राजस्व)

राशि ₹ में

क्र. सं.	परिसंपत्तियाँ शीर्ष	सकल खंड				वर्ष के लिए मूल्यहास					शुद्ध खंड		
		01.04.2021 को आदि शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	31 मार्च, 2022 को स्थिति (1+2-3)	मूल्यहास आदि शेष	मूल्यहास की दर	वर्ष के दौरान मूल्यहास	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	कटौतियाँ/समायोजन	31.03.2022 तक मूल्यहास (5+7-8)	31.03.2022 (4-10)	31.03.2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	भूमि	37,54,08,505	-	-	37,54,08,505	-	0%	-	-	-	-	37,54,08,505	37,54,08,505
2.	भवन	86,95,23,128	9,98,47,831	-	96,93,70,959	1,73,90,463	2%	19,96,957	-	-	1,93,87,420	94,99,83,539	86,95,23,128
3.	सड़क एवं पुल	46,099	-	-	46,099	922	2%	-	-	-	922	45,177	46,099
4.	सीवर एवं जल निकास व्यवस्था	3,89,746	-	-	3,89,746	7,795	0%	-	-	-	7,795	3,81,951	3,89,746
5.	नलकूप एवं जलापूर्ति	45,37,106	-	-	45,37,106	90,741	0%	-	-	-	90,741	44,46,365	45,37,106
6.	विद्युत संस्थापन एवं उपकरण	5,39,34,113	1,21,13,734	-	6,60,47,847	26,96,707	5%	6,05,689	-	-	33,02,396	6,27,45,451	5,39,34,113
7.	संयंत्र और मशीन	1,04,63,559	12,07,253	-	1,16,70,812	5,23,178	5%	60,363	-	-	5,83,541	1,10,87,271	1,04,63,559
8.	वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला उपकरण	1,26,15,229	18,90,898	16,769	1,44,89,358	10,09,219	8%	1,49,930	-	-	11,59,149	1,33,30,209	1,26,15,229
9.	कार्यालय उपकरण	3,08,92,839	1,00,92,177	-	4,09,85,016	23,16,963	7.50%	7,56,914	-	-	30,73,877	3,79,11,139	3,08,92,839
10.	श्रुत्य - दृश्य उपकरण	6,33,12,068	2,45,37,467	-	8,78,49,535	47,48,405	7.50%	18,40,311	-	-	65,88,716	8,12,60,819	6,33,12,068
11.	कंप्यूटर एवं हिस्से पुर्जे	5,65,65,219	4,65,80,734	16,42,170	10,15,03,783	1,13,13,047	20%	89,87,712	-	-	2,03,00,759	8,12,03,024	5,65,65,219
12.	फर्नीचर, जुड़नार एवं साज - सज्जा	8,92,58,172	3,89,58,856	-	12,82,17,028	66,94,364	7.50%	29,21,915	-	-	96,16,279	11,86,00,749	8,92,58,172
13.	वाहन	19,95,261	-	-	19,95,261	1,99,527	10%	-	-	-	1,99,527	17,95,734	19,95,261
14.	पुस्तकालय की पुस्तकें एवं वैज्ञानिक पत्रिकाएँ	8,30,93,307	1,68,49,266	33,571	9,99,09,002	83,09,331	10%	16,81,570	-	-	99,90,901	8,99,18,101	8,30,93,307
15.	कम मूल्यवान परिसंपत्तियाँ	-	7,147	-	7,147	-	100%	7,147	-	-	7,147	-	-
	कुल (क)	1,65,20,34,351	25,20,85,363	16,92,510	1,90,24,27,204	5,53,00,662		1,90,08,508	-	-	7,43,09,170	1,82,81,18,034	1,65,20,34,351

16.	अन्य (उपहार स्वरूप परिसंपत्तियाँ तथा प्रायोजित परियोजनाएँ) अनुलग्नक 4 (घ) का संदर्भ ले (कुल ख)	1,44,52,126	7,26,53,771	-	8,71,05,897	-	20%	1,74,21,179	-	-	1,74,21,179	6,96,84,718	1,44,52,126
	कुल (क + ख)	1,66,64,86,477	32,47,39,134	16,92,510	1,98,95,33,101	5,53,00,662		3,64,29,687	-	-	9,17,30,349	1,89,78,02,752	1,66,64,86,477
17.	चालू पूंजीगत कार्य (ग)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-

क्र. सं.	अमूर्त परिसंपत्तियाँ	आदि शेष	परिवर्धन	कटौतियाँ	अंतः शेष	मूल्यहास आदि शेष	मूल्यहास की दर	वर्ष के लिए परिशोधन	कटौतियाँ/समायोजन	कुल परिशोधन/समायोजन	31.03.2022	31.03.2021
18.	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	21,66,361	46,27,989	-	67,94,350	8,66,544	40%	18,51,196	-	27,17,740	40,76,610	21,66,361
19.	ई-पत्रिकाएँ	17,24,605	14,60,199	-	31,84,804	6,89,843	40%	5,84,079	-	12,73,922	19,10,882	17,24,605
20.	पेटेंट	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	कुल (द)	38,90,966	60,88,188	-	99,79,154	15,56,387		24,35,275	-	39,91,662	59,87,492	38,90,966

मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 4 (अ) — स्थायी परिसंपत्तियाँ (पूँजीगत)

राशि ₹ में

क्र. सं.	परिसंपत्तियाँ शीर्ष	सकल खंड				वर्ष के लिए मूल्यहास						शुद्ध खंड	
		01.04.2021 को आदि शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	31 मार्च, 2022 को (1+2-3)	मूल्यहास आदि शेष	मूल्यहास की दर	वर्ष के दौरान मूल्यहास	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	समाधान	31.03.2022 तक कुल मूल्यहास (5+7-8)	31.03.2022 (4-10)	31.03.2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	भूमि	37,54,08,505	-	-	37,54,08,505	-	0%	-	-	-	-	37,54,08,505	37,54,08,505
2.	भवन	83,11,33,407	9,98,47,831	-	93,09,81,238	1,66,22,668	2%	19,96,957	-	-	1,86,19,625	91,23,61,613	83,11,33,407
3.	सड़क एवं पुल	46,099	-	-	46,099	922	2%	-	-	-	922	45,177	46,099
4.	सीवर एवं जल निकास व्यवस्था	2,85,527	-	-	2,85,527	5,711	2%	-	-	-	5,711	2,79,816	2,85,527
5.	नलकूप एवं जलापूर्ति	45,27,386	-	-	45,27,386	90,547	2%	-	-	-	90,547	44,36,839	45,27,386
6.	विद्युत संस्थापन एवं उपकरण	3,81,26,161	1,20,88,102	-	5,02,14,263	19,06,308	5%	6,04,406	-	-	25,10,714	4,77,03,549	3,81,26,161
7.	संयंत्र और मशीन	21,34,001	12,07,253	-	33,41,254	1,06,700	5%	60,363	-	-	1,67,063	31,74,191	21,34,001
8.	वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला उपकरण	34,27,259	32,300	16,769	34,42,790	2,74,181	8%	1,242	-	-	2,75,423	31,67,367	34,27,259
9.	कार्यालय उपकरण	1,64,50,826	60,98,798	-	2,25,49,624	12,33,811	7.5%	4,57,410	-	-	16,91,221	2,08,58,403	1,64,50,826
10.	श्रव्य - दृश्य उपकरण	64,05,740	2,16,87,613	-	2,80,93,353	4,80,431	7.5%	16,26,572	-	-	21,07,003	2,59,86,350	64,05,740
11.	कंप्यूटर एवं हिस्से पुर्जे	2,46,34,310	2,92,67,183	16,42,170	5,22,59,323	49,26,864	20%	55,25,002	-	-	1,04,51,866	4,18,07,457	2,46,34,310
12.	फर्नीचर, जुड़नार एवं साज - सज्जा	4,59,19,919	1,69,08,567	-	6,28,28,486	34,43,994	7.5%	12,68,143	-	-	47,12,137	5,81,16,349	4,59,19,919
13.	वाहन	19,57,074	-	-	19,57,074	1,95,708	10%	-	-	-	1,95,708	17,61,366	19,57,074
14.	पुस्तकालय की पुस्तकें एवं वैज्ञानिक पत्रिकाएँ	2,84,26,304	1,94,992	33,026	2,85,88,270	28,42,631	10%	16,196	-	-	28,58,827	2,57,29,443	2,84,26,304
15.	कम मूल्यवान परिसंपत्तियाँ	-	3,358	-	3,358	-	100%	3,358	-	-	3,358	-	-
	कुल (क)	1,37,88,82,518	18,73,35,997	16,91,965	1,56,45,26,550	3,21,30,476		1,15,59,649	-	-	4,36,90,125	1,52,08,36,425	1,37,88,82,518

16.	अन्य (कुल ख)	-	-	-	-	-	20%	-	-	-	-	-	
	कुल (क + ख)	1,37,88,82,518	18,73,35,997	16,91,965	1,56,45,26,550	3,21,30,476		1,15,59,649	-	-	4,36,90,125	1,52,08,36,425	1,37,88,82,518
17.	चालू पूँजीगत कार्य (ग)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

क्र. सं.	अमूर्त परिसंपत्तियाँ	आदि शेष	परिवर्धन	कटौतियाँ	अंतःशेष	मूल्यहास आदि शेष	मूल्यहास की दर	वर्ष के लिए परिशोधन	कटौतियाँ/समायोजन	कुल परिशोधन/समायोजन	31.03.2022	31.03.2021
18.	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	1,97,346	1,77,989	-	3,75,335	78,938	40%	71,196	-	1,50,134	2,25,201	1,97,346
19.	ई-पत्रिकाएँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	पेटेंट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल (द)	1,97,346	1,77,989	-	3,75,335	78,938	-	71,196	-	1,50,134	2,25,201	1,97,346

मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 4 (ब) — स्थायी परिसंपत्तियाँ (राजस्व)

राशि ₹ में

क्र. सं.	परिसंपत्तियाँ शीर्ष	सकल खंड				वर्ष के लिए मूल्यहास						शुद्ध खंड	
		01.04.2021 को आदि शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	31 मार्च, 2022 (1+2-3)	मूल्यहास आदि शेष	मूल्यहास की दर	वर्ष के दौरान मूल्यहास	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	कटौतियाँ/समायोजन	31.03.2022 तक मूल्यहास (5+7-8)	31.03.2022 (4-10)	31.03.2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	भूमि	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-		
2.	भवन	3,83,89,721	-	-	3,83,89,721	7,67,795	2%	-	-	-	7,67,795	3,76,21,926	3,83,89,721
3.	सड़क एवं पुल	-	-	-	-	-	2%	-	-	-	-	-	-
4.	सीवर एवं जल निकास व्यवस्था	1,04,219	-	-	1,04,219	2,084	2%	-	-	-	2,084	1,02,135	1,04,219
5.	नलकूप एवं जलापूर्ति	9,720	-	-	9,720	194	2%	-	-	-	194	9,526	9,720
6.	विद्युत संस्थापन एवं उपकरण	1,58,07,952	25,632	-	1,58,33,584	7,90,399	5%	1,283	-	-	7,91,682	1,50,41,902	1,58,07,952
7.	संयंत्र और मशीन	83,29,558	-	-	83,29,558	4,16,478	5%	-	-	-	4,16,478	79,13,080	83,29,558
8.	वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला उपकरण	91,87,970	18,58,598	-	1,10,46,568	7,35,038	8%	1,48,688	-	-	8,83,726	1,01,62,842	91,87,970
9.	कार्यालय उपकरण	1,44,42,013	39,93,379	-	1,84,35,392	10,83,152	7.5%	2,99,504	-	-	13,82,656	1,70,52,736	1,44,42,013
10.	श्रृंखला - दृश्य उपकरण	5,69,06,328	28,49,854	-	5,97,56,182	42,67,974	7.5%	2,13,739	-	-	44,81,713	5,52,74,469	5,69,06,328
11.	कंप्यूटर एवं हिस्से पुर्जे	3,19,30,909	1,73,13,551	-	4,92,44,460	63,86,183	20%	34,62,710	-	-	98,48,893	3,93,95,567	3,19,30,909
12.	फर्नीचर, जुड़नार एवं साज - सज्जा	4,33,38,253	2,20,50,289	-	6,53,88,542	32,50,370	7.5%	16,53,772	-	-	49,04,142	6,04,84,400	4,33,38,253
13.	वाहन	38,187	-	-	38,187	3,819	10%	-	-	-	3,819	34,368	38,187
14.	पुस्तकालय की पुस्तकें एवं वैज्ञानिक पत्रिकाएँ	5,46,67,003	1,66,54,274	545	7,13,20,732	54,66,700	10%	16,65,374	-	-	71,32,074	6,41,88,658	5,46,67,003
15.	कम मूल्यवान परिसंपत्तियाँ	-	3,789	-	3,789	-	100%	3,789	-	-	3,789	-	-

	कुल (क)	27,31,51,833	6,47,49,366	545	33,79,00,654	2,31,70,186		74,48,859	-	-	3,06,19,045	30,72,81,609	27,31,51,833
16.	अन्य (कुल ख)	-	-	-	-	-	20%	-			-	-	-
	कुल (क + ख)	27,31,51,833	6,47,49,366	545	33,79,00,654	2,31,70,186		74,48,859	-	-	3,06,19,045	30,72,81,609	27,31,51,833
17.	चालू पूँजीगत कार्य (ग)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

क्र. सं.	अमूर्त परिसंपत्तियाँ	आदि शेष	परिवर्धन	कटौतियाँ	अंतः शेष	मूल्यहास आदि शेष	मूल्यहास की दर	वर्ष के लिए परिशोधन	कटौतियाँ/समायोजन	कुल परिशोधन/समायोजन	31.03.2022	31.03.2021
18.	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	19,69,015	44,50,000	-	64,19,015	7,87,606	40%	17,80,000	-	25,67,606	38,51,409	19,69,015
19.	ई-पत्रिकाएँ	17,24,605	14,60,199	-	31,84,804	6,89,843	40%	5,84,079	-	12,73,922	19,10,882	17,24,605
20.	पेटेंट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल (द)	36,93,620	59,10,199	-	96,03,819	14,77,449	-	23,64,079	-	38,41,528	57,62,291	36,93,620

मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 4 (स) — पूँजी

राशि ₹ में

क्र. सं.	परिसंपत्तियाँ शीर्ष	सकल खंड				वर्ष के लिए मूल्यहास					शुद्ध खंड	
		1.04.2021 को आदि शेष	परिवर्धन	कटौतियाँ	अंत: शेष	मूल्यहास आदि शेष	वर्ष के लिए मूल्यहास	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	कटौतियाँ/समायोजन	कुल मूल्यहास	31.03.2022	31.03.2021
1.	पेटेंट एवं प्रकाशनाधिकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	ई-पत्रिकाएँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 4 (द) — परिसंपत्तियाँ— अन्य (उपहार स्वरूप और प्रायोजित परियोजनाएँ)

राशि ₹ में

क्र. सं.	परिसंपत्तियाँ शीर्ष	सकल खंड				शुद्ध खंड			
		1.04.2021 को आदि शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	31 मार्च 2022 को (1+2-3)	कॉलम सं. 4 की 20%	कुल	31.03.2022 को (4-5)	31.03.2021 को
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	विशिष्ट अनुदानों से अर्जित परिसंपत्तियाँ तथा उपहार स्वरूप परिसंपत्तियाँ	1,44,52,126	7,26,53,771	-	8,71,05,897	1,74,21,179	1,74,21,179	6,96,84,718	1,44,52,126
	कुल (क)	1,44,52,126	7,26,53,771	-	8,71,05,897	1,74,21,179	1,74,21,179	6,96,84,718	1,44,52,126
2.	चालू पूँजीगत कार्य (ख)	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	कुल योग (क + ख)	1,44,52,126	7,26,53,771	-	8,71,05,897	1,74,21,179	1,74,21,179	6,96,84,718	1,44,52,126

8 टिप्पणी— वर्ष के दौरान परिवर्धनों में निम्नलिखित शामिल है—

	राशि
उपहार स्वरूप	31,38,489
उद्दिष्ट निधियाँ	-
प्रायोजित परियोजनाएँ	6,95,15,282
निजी निधियाँ	-
कुल	7,26,53,771

मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 5 — उद्दिष्ट/अक्षय निधियों में से निवेश

राशि ₹ में

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
1.	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में	-	-
2.	राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में	-	-
3.	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
4.	शेयर	-	-
5.	ऋण पत्र तथा बॉन्ड	-	-
6.	बैंक में मियादी जमा	-	-
7.	अन्य (निर्दिष्ट की जाए)	-	-
	कुल	-	-

अनुसूची 5 (अ) — उद्दिष्ट/अक्षय निधियों में से निवेश (निधिवार)

राशि ₹ में

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
1.	अक्षय निधि निवेश	-	-
		-	-

टिप्पणी — इस उप-अनुसूची का योग अनुसूची 5 के योग के अनुकूल होना चाहिए।

मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 6—निवेश-अन्य

राशि ₹ में

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
1.	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में	-	-
2.	राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में	-	-
3.	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
4.	शेयर	-	-
5.	सामान्य भविष्य निधि में से सृजित ऋण पत्र तथा बॉन्ड	1,60,00,000	1,60,00,000
6.	अन्य (निर्दिष्ट करें)		
	(अ) सामान्य भविष्य निधि से सृजित दीर्घकालीन जमा*	1,49,32,97,306	1,45,33,02,306
	(ब) अल्पकालीन जमा		-
	कुल	1,50,92,97,306	1,46,93,02,306

*इसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश शामिल है।

मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 7 — चालू परिसंपत्तियाँ

			राशि ₹ में	
क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21	
1.	स्टॉक—			
	क) भंडार-मुद्रण कागज़	-	-	
	ख) खुले उपकरण	-	-	
	ग) प्रकाशन	2,20,64,41,666	2,44,58,41,807	
	घ) प्रयोगशाला रसायन, उपभोज्य वस्तुएँ एवं काँच के बर्तन	-	-	
	ड) भवन सामग्री	-	-	
	च) लेखन सामग्री	-	-	
	छ) जलापूर्ति सामग्री	-	-	
2.	विविध देनदार—			
	अ) छ: माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया ऋण	-	-	
	ब) अन्य	1,56,40,312	1,46,15,015	
3.	नकद एवं बैंक शेष—			
	अ) अनुसूचित बैंकों के पास—			
	चालू खातों में	57,400	24,351	
	मियादी जमा खातों में	10,15,00,18,076	8,00,00,18,075	
	बचत खातों में	55,86,20,931	1,14,93,70,496	
	ब) गैर अनुसूचित बैंकों के पास—			
	मियादी जमा खातों में	-	-	
	बचत खातों में	-	-	
4.	डाकघर—बचत खाते	-	-	
	कुल	12,93,07,78,386	11,60,98,69,744	

टिप्पणी — संलग्नक (अ) में बैंक खातों का विवरण दर्शाया गया है।

मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 7 (अ) — बैंक खातों का विवरण

राशि ₹ में

I. बचत बैंक खाते	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	2021-22	2020-21
1. यू.जी.सी. खाते से अनुदान	-	-
2. विश्वविद्यालय प्राप्तिखाता	-	-
3. छात्रवृत्ति खाता	-	-
4. अकादमिक प्राप्तिखाता	-	-
5. विकास (पूँजी) खाता	-	-
6. संयुक्त प्रवेश परीक्षा (सी.बी.टी.) खाता	-	-
7. समग्र निधि खाता (ई.एम.एफ.)	-	-
8. प्रायोजित परियोजनाएँ निधि खाता	-	-
9. प्रायोजित अध्येतावृत्ति खाता	-	-
10. अक्षय निधि एवं चेयर खाता (ई.एम.एफ.)	-	-
11. यू.जी.सी. जे.आर.एफ. अध्येतावृत्ति (ई.एम.एफ.)	-	-
12. एच.बी.ए. निधि खाता	-	-
13. वाहन खाता (ई.एम.एफ.)	-	-
14. यू.जी.सी. राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (ई.एम.एफ.)	-	-
15. अकादमिक विकास निधि खाता	-	-
16. जमा खाता	-	-
(एस.बी.आई. खाता सं. 00000030078164863) – शिलाँग	2,11,32,628	2,38,70,470
(एस.बी.आई. खाता सं. 30174112500) – भुवनेश्वर	3,93,22,190	3,69,24,552
(एस.बी.आई. खाता सं. 00000054035460003) – मैसूरू	6,48,93,455	4,08,76,560
(एस.बी.आई. खाता सं. 10200605652) – अजमेर	2,56,54,566	6,17,65,573
(एस.बी.आई. खाता सं. 10137881284) – सी.आई.ई.टी.	2,35,77,376	16,36,85,186
(एस.बी.आई. खाता सं. 10137881342) – प्रकाशन	7,04,32,250	4,90,29,556
(एस.बी.आई. खाता सं. 10121604354) – पी.एस.एस.सी. आई.वी.ई., भोपाल	6,04,64,278	1,55,18,164
(एस.बी.आई. खाता सं. 10137881331) – मुख्यालय, दिल्ली	19,16,64,046	65,44,34,197
(एस.बी.आई. खाता सं. 10026515348) – भोपाल	5,31,20,177	9,61,68,191
(एस.बी.आई. खाता सं. 64214245932) – मैसूरू	10,769	11,418
(एस.बी.आई. खाता सं. 64072949232) – मैसूरू	1,00,000	1,07,978
(एस.बी.आई. खाता सं. 38631734783) – मैसूरू	8,892	3,567
(एस.बी.आई. खाता सं. 38950734642) – मैसूरू	1,79,640	9,410
(एस.बी.आई. खाता सं. 37614943571) – मुख्यालय, दिल्ली	28,635	27,875
(एस.बी.आई. खाता सं. 36242012130) – मुख्यालय, दिल्ली	79,59,622	68,67,313
(एस.बी.आई. खाता सं. 36189339869) – मुख्यालय, दिल्ली	72,407	70,484
17. विद्यार्थी निधि खाता	-	-
18. विद्यार्थी सहायता निधि खाता	-	-
19. विशिष्ट योजनाओं के लिए पूँजीगत अनुदान	-	-
II. चालू खाता	57,400	24,351
III. अनुसूचित बैंकों में मियादी जमा	10,15,00,18,076	8,00,00,18,075
कुल	10,70,86,96,407	9,14,94,12,922

मुख्य लेखाधिकारी

रा.शै.अ.प्र.प.

नयी दिल्ली-110 016

सचिव

रा.शै.अ.प्र.प.

नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 8 — ऋण, अग्रिम एवं जमा

राशि ₹ में

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
1.	कर्मचारियों को अग्रिम (ब्याज रहित)—		
	क) वेतन	-	-
	ख) त्यौहार	-	-
	ग) चिकित्सा अग्रिम	-	-
	घ) अन्य	28,26,898	13,02,981
2.	कर्मचारियों को दीर्घावधि अग्रिम (ब्याज सहित)—		
	क) वाहन ऋण	3,60,352	5,07,292
	ख) गृह ऋण	71,95,572	81,01,673
	ग) कंप्यूटर	34,60,300	38,96,724
3.	नकद अथवा वस्तु में अथवा मूल्य के रूप में प्राप्त योग्य अग्रिम तथा अन्य धन राशियाँ—		
	क) पूँजीगत खातों पर	-	-
	ख) आपूर्तिकर्ताओं को	-	-
	ग) अन्य	1,76,20,58,704	1,94,37,61,723
4.	पूर्व प्रदत्त व्यय		
	क) बीमा	1,12,072	89,312
	ख) अन्य व्यय	89,56,662	90,10,513
5.	जमा—		
	क) टेलीफोन	-	-
	ख) पट्टा किराया	-	-
	ग) बिजली	-	-
	घ) ए.आई.सी.टी.ई. (लागू नहीं)	-	-
	ङ) अन्य	21,25,753	21,25,753
6.	प्रोद्भूत आय—		
	क) उद्दिष्ट/अक्षय निधियों से निवेशों पर	-	-
	ख) निवेशों पर-अन्य	5,51,48,678	4,63,56,942
	ग) निवेशों पर-एस.टी.डी.	6,23,56,825	5,52,98,907
	घ) ऋण एवं अग्रिमों पर	17,63,030	12,06,722
	ङ) अन्य (अप्राप्त देय आय शामिल है)	-	-
7.	अन्य— यू.जी.सी./प्रायोजित परियोजनाओं से प्राप्त चालू परिसंपत्तियाँ—		
	क) प्रायोजित परियोजनाओं में नामे शेष	1,49,33,375	6,38,03,446
	ख) प्रायोजित अध्येतावृत्तियों एवं छात्रवृत्तियों में नामे शेष	74,492	98,30,720
	ग) प्राप्य अनुदान	-	-
	घ) अन्य प्राप्य	12,77,24,680	17,55,17,098
8.	प्राप्य दावे	2,65,81,131	2,65,81,131
	कुल	2,07,56,78,527	2,34,73,90,940

मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 8 (अ) — प्रायोजित परियोजनाओं के संदर्भ में देनदार

राशि ₹ में

क्र. सं.	परियोजना का नाम	प्रायोजक एजेंसी	01.04.2021 को आदि शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ/वसूलियाँ	वापसी	कुल	वर्ष के दौरान किया गया व्यय	31.03.2022 को अंतः शेष
		1	2	3	4	5 (2+3+4)	6	7 (5-6)
1.	डी.पी.ई.पी. के राष्ट्रीय घटक के लिए रूपरेखा तैयार करने पर कार्यकारी समूह की बैठक	शिक्षा मंत्रालय	2,193	-	-	2,193	-	2,193
2.	हिंदी में एन.एफ़.ई. के लिए शिक्षण-अधिगम सामग्री का विकास (1995-96)	शिक्षा मंत्रालय	1,91,100	-	-	1,91,100	-	1,91,100
3.	पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई. में अध्यापकों के लिए स्कॉस्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के लिए वित्तीय सहायता	शिक्षा मंत्रालय	4,584	-	-	4,584	-	4,584
4.	वर्ष 1996-97 के दौरान डी.डी. III फ्रीडम चैनल पर प्रसारित करने के लिए ई.टी.वी. कार्यक्रम का निर्माण (सी.आई.ई.टी.)	शिक्षा मंत्रालय	4,44,600	-	-	4,44,600	-	4,44,600
5.	सी.आई.ई.टी. के लिए इनसेट कार्यक्रम	शिक्षा मंत्रालय	2,49,395	-	-	2,49,395	-	2,49,395
कुल			8,91,872	-	-	8,91,872	-	8,91,872

विशिष्ट परियोजना के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अनुदान का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है, जिसके लिए इसे प्राप्त किया गया और इसके साथ संलग्न शर्तों को भी यथोचित पूरा किया गया है।

मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

ख. आय एवं व्यय लेखा

01/04/2021 से 31/03/2022

राशि ₹ में

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
आय			
अकादमिक प्राप्तियाँ	9	8,03,77,000	6,66,71,499
अनुदान/आर्थिक सहायता	10	3,18,07,34,988	3,14,46,73,648
निवेशों से आय	11	29,40,70,193	39,00,76,208
अर्जित ब्याज	12	2,69,39,578	3,10,73,735
अन्य आय	13	4,04,36,93,478	4,45,93,35,682
पूर्वावधि आय	14	-	-
कुल (अ)		7,62,58,15,237	8,09,18,30,772
व्यय			
स्टॉफ़ भुगतान एवं हितलाभ (स्थापना व्यय)	15	1,24,39,87,708	3,81,93,92,474
अकादमिक व्यय	16	2,86,07,79,618	2,83,73,97,481
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	17	60,21,59,668	52,49,74,086
परिवहन व्यय	18	17,00,133	17,25,400
मरम्मत एवं रखरखाव	19	50,92,45,659	12,18,85,650
वित्त लागते	20	5,40,269	1,95,546
अन्य व्यय	21	-	-
पूर्वावधि व्यय	22	1,68,608	9,25,71,105
मूल्यहास	4	9,57,22,011	6,83,67,211
कुल (ब)		5,31,43,03,674	7,46,65,08,953
आय की व्यय से अधिकता (अ-ब) के परिणामस्वरूप अभिहित निधि में/से हस्तांतरण भवन निधि अन्य (निर्दिष्ट करें)		2,31,15,11,563	62,53,21,819
शेष का आधिक्य (घाटा) होने के कारण पूँजीगत निधि में ले जाया गया		2,31,15,11,563	62,53,21,819
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	23		
आकस्मिक देयताएँ एवं लेखों पर टिप्पणियाँ	24		

मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 9 — अकादमिक प्राप्तियाँ

राशि ₹ में

विवरण	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
विद्यार्थियों से शुल्क		
अकादमिक		
1. शिक्षा शुल्क	2,44,36,127	1,38,57,525
2. प्रवेश शुल्क	27,84,272	69,97,356
3. नामांकन शुल्क	-	-
4. पुस्तकालय प्रवेश शुल्क	8,97,500	13,43,900
5. प्रयोगशाला शुल्क	18,12,200	23,67,100
6. कला एवं शिल्प शुल्क	-	-
7. पंजीकरण शुल्क	4,48,007	48,001
8. पाठ्यविवरण शुल्क	24,300	42,500
कुल (क)	3,04,02,406	2,46,56,382
परीक्षाएँ		
1. प्रवेश परीक्षा शुल्क	-	-
2. वार्षिक परीक्षा शुल्क	61,705	2,27,500
3. अंक पत्रक, प्रमाण पत्र शुल्क	-	-
4. प्रवेश परीक्षा शुल्क	-	-
कुल (ख)	61,705	2,27,500
अन्य शुल्क		
1. पहचान पत्र शुल्क	2,20,410	2,74,550
2. जुर्माना/विविध शुल्क/अन्य शुल्क	99,87,495	1,01,21,592
3. चिकित्सा शुल्क	6,62,900	7,98,750
4. परिवहन शुल्क	-	-
5. कंप्यूटर प्रयोगशाला विकास शुल्क	7,80,200	6,93,600
6. छात्रावास शुल्क	22,30,800	12,02,600
कुल (ग)	1,38,81,805	1,30,91,092
प्रकाशनों की बिक्री		
1. प्रवेश पत्रों की बिक्री	3,25,600	1,98,250
2. पाठ्यविवरण तथा प्रश्न-पत्र आदि की बिक्री	-	-
3. प्रवेश पत्र सहित विवरण पत्रिका की बिक्री	-	-
कुल (घ)	3,25,600	1,98,250
अन्य अकादमिक प्राप्तियाँ		
1. कार्यशालाएँ, कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण शुल्क	-	-
2. पंजीकरण शुल्क (अकादमिक स्टॉफ़ महाविद्यालय)	-	-
3. लाइसेंस शुल्क	3,57,05,484	2,84,98,275
कुल (ङ)	3,57,05,484	2,84,98,275
कुल योग (क + ख + ग + घ + ङ)	8,03,77,000	6,66,71,499

मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 10 — अनुदान/सहायिकियाँ (प्राप्ति अशोध्य अनुदान) 2021-22

विवरण	पूँजी		कुल पूँजी	राजस्व यू.जी.सी./ भारत सरकार	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
	भारत सरकार	यू.जी.सी. पूँजी विशिष्ट योजना				
अग्रानीत शेष	-	-	-	43,11,38,217	43,11,38,217	6,68,98,221
जमा — आंतरिक प्राप्ति	30,59,241		30,59,241	-	30,59,241	4,08,164
जमा — वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	-		-	-	-	-
जमा — वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	18,36,14,004	-	18,36,14,004	3,01,38,02,735	3,19,74,16,739	3,88,42,00,000
कुल	18,66,73,245	-	18,66,73,245	3,44,49,40,952	3,63,16,14,197	3,95,15,06,385
घटा — यू.जी.सी./भारत सरकार को वापसी	-	-	-	-	-	-
शेष	18,66,73,245	-	18,66,73,245	3,44,49,40,952	3,63,16,14,197	3,95,15,06,385
घटा — पूँजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त (अ)	18,66,73,245	-	18,66,73,245	1,66,54,274	20,33,27,519	37,56,94,520
शेष	-	-	-	3,42,82,86,678	3,42,82,86,678	3,57,58,11,865
घटा — राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त (ब)	-	-	-	3,18,07,34,988	3,18,07,34,988	3,14,46,73,648
शेष अग्रानीत (स)	-	-	-	24,75,51,690	24,75,51,690	43,11,38,217

अ. वर्ष के दौरान पूँजीगत निधि में परिवर्धन और स्थायी परिसंपत्तियों में परिवर्धन के रूप में दर्शाया गया है।

ब. आय और व्यय लेखा में आय के रूप में दर्शाया गया है।

स. 1) तुलन पत्र में चालू देयताओं के अंतर्गत दर्शाया गया है तथा अगले वर्ष में आदि शेष बन जाएगा।

2) परिसंपत्तियाँ पक्ष में बैंक शेष, निवेशों तथा अग्रिमों द्वारा दर्शाया गया है।

टिप्पणी — राजस्व यू.जी.सी. से अनुदान की राशि भारत सरकार से अनुदान को दर्शाती है।

मुख्य लेखाधिकारी

रा.शै.अ.प्र.प.

नयी दिल्ली-110 016

सचिव

रा.शै.अ.प्र.प.

नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 11 — निवेशों से आय

राशि ₹ में

क्र. सं.	विवरण	उद्दिष्ट/अक्षय निधि		अन्य निवेश	
		चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
1.	ब्याज				
	सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
	अन्य बंध पत्र/ऋणपत्र	-	-	-	-
2.	मियादी जमा पर ब्याज				
	दीर्घकालीन	-	-	6,51,99,702	10,18,53,633
	अल्पकालीन	-	-	22,66,66,397	28,66,82,489
3.	आय प्रोद्भूत किंतु देय नहीं				
	मियादी जमा/कर्मचारियों को सब्याज	-	-	-	-
	अग्रिम	-	-	-	-
4.	बचत बैंक खातों पर ब्याज	-	-	-	-
5.	अन्य (निर्दिष्ट करें)				
	ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज	-	-	14,90,191	15,40,086
	बैंक गारंटी पर ब्याज	-	-	7,13,903	-
		कुल	-	29,40,70,193	39,00,76,208
	उद्दिष्ट/अक्षय निधियों में स्थानांतरित		-	-	-
	शेष		-	-	-

28

मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 12 — अर्जित ब्याज

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
1.	अनुसूचित बैंकों में बचत खातों पर	2,69,39,578	3,10,73,735
2.	ऋणों पर	-	-
	अ) कर्मचारी/स्टॉफ़	-	-
	ब) अन्य	-	-
3.	देनदार तथा अन्य प्राप्यों पर	-	-
	कुल	2,69,39,578	3,10,73,735

मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 13 — अन्य आय

राशि ₹ में

विवरण	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
अ. भूमि एवं भवन से आय		
1. छात्रावास कक्ष किराया	-	-
2. लाइसेंस शुल्क	-	-
3. सभागार/खेलकूद मैदान/समागम केंद्र आदि का भाड़ा	-	-
4. वसूल किए गए विद्युत प्रभार	-	-
5. वसूल किए गए जल प्रभार	-	-
कुल (अ)	-	-
ब. संस्थान के प्रकाशनों की बिक्री	3,49,86,33,772	4,02,36,25,617
कुल (ब)	3,49,86,33,772	4,02,36,25,617
स. आयोजनों से आय		
1. वार्षिक समारोह/खेल उत्सव से सकल प्राप्तियाँ	-	-
घटा – वार्षिक समारोह/खेल उत्सव पर हुआ प्रत्यक्ष व्यय	-	-
2. मेलों से सकल प्राप्तियाँ	-	-
घटा – मेलों पर हुआ प्रत्यक्ष व्यय	-	-
3. शैक्षिक भ्रमणों के लिए सकल प्राप्तियाँ	-	-
घटा – भ्रमणों पर हुआ प्रत्यक्ष व्यय	-	-
4. अन्य (निर्दिष्ट एवं पृथक रूप से दर्शाया जाना है)	-	-
कुल (स)	-	-
द. अन्य		
1. परामर्शी सेवा से आय	-	-
2. सूचना का अधिकार शुल्क	3,388	5,644
3. रॉयल्टी से आय	37,46,55,306	36,90,09,031
4. विज्ञान किटों की बिक्री	-	-
5. विविध प्राप्तियाँ (निविदा फार्म, रद्दी कागज आदि की बिक्री)	2,14,180	5,33,849
6. स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री	-	-
7. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ	-	-
क) निजी परिसंपत्तियाँ	(33,026)	(1,263)
ख) निशुल्क प्राप्त परिसंपत्तियाँ	-	-
8. संस्थानों, कल्याण निकायों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अनुदान/दान	-	-
9. अन्य	-	-
संपत्ति पर निवेश से आय	1,70,60,031	1,12,97,181
छुट्टी वेतन एवं पेंशन अंशदान	21,12,227	43,90,864
के.स.स्वा.यो. अंशदान	1,01,35,186	1,02,84,792
मृत्यु राहत योजना (डी.आर.एस.)	2,31,870	2,43,183
विविध प्राप्तियाँ	14,06,80,544	3,99,46,784
कुल (द)	54,50,59,706	43,57,10,065
कुल योग (अ+ब+स+द)	4,04,36,93,478	4,45,93,35,682

मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 14 — पूर्वावधि आय

राशि ₹ में

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
1.	अकादमिक प्राप्तियाँ	-	-
2.	निवेशों से आय	-	-
3.	अर्जित ब्याज	-	-
4.	अन्य आय	-	-
	कुल	-	-

मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 15 — स्टाफ़ भुगतान एवं हितलाभ (स्थापना व्यय)

राशि ₹ में

विवरण	चालू वर्ष 2021-22			पिछला वर्ष 2020-21		
	पूँजी	राजस्व	कुल	पूँजी	राजस्व	कुल
क) वेतन और मज़दूरी	-	1,54,87,13,800	1,54,87,13,800	-	1,40,23,44,612	1,40,23,44,612
ख) भत्ते और बोनस	-	10,32,02,001	10,32,02,001	-	8,41,14,734	8,41,14,734
ग) भविष्य निधि में अंशदान	-	-	-	-	-	-
घ) अन्य निधि में अंशदान (निर्दिष्ट करें)— एन.पी.एस.	-	5,61,51,410	5,61,51,410	-	5,15,60,797	5,15,60,797
ड) स्टाफ़ कल्याण व्यय	-	3,49,584	3,49,584	-	2,84,774	2,84,774
च) सेवानिवृत्ति और सेवांत हितलाभ	-	(60,20,91,536)	(60,20,91,536)	-	2,14,93,14,403	2,14,93,14,403
छ) एल.टी.सी. सुविधा (बकाया)	-	-	-	-	-	-
ज) चिकित्सा सुविधा (बकाया)	-	-	-	-	-	-
झ) संतान शिक्षा भत्ता	-	-	-	-	-	-
ञ) मानदेय	-	-	-	-	-	-
ट) अन्य (निर्दिष्ट की जाए)	-	-	-	-	-	-
मृत्यु राहत योजना (डी.आर.एस.)	-	12,00,024	12,00,024	-	2,85,768	2,85,768
के.स.स्वा.यो.	-	2,32,67,152	2,32,67,152	-	2,39,12,608	2,39,12,608
डी.एल.आई.एस.	-	2,40,000	2,40,000	-	1,02,000	1,02,000
एल.एस.पी.सी.	-	23,60,310	23,60,310	-	-	-
त्यौहार व्यय	-	-	-	-	-	-
सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज व्यय	-	11,05,94,963	11,05,94,963	-	10,74,72,778	10,74,72,778
कुल	-	1,24,39,87,708	1,24,39,87,708	-	3,81,93,92,473.90	3,81,93,92,473.90

32

मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 15 (अ) — कर्मचारी सेवानिवृत्ति और सेवांत हितलाभ

राशि ₹ में

विवरण	पेंशन	उपादान	छुट्टी नकदीकरण	कुल
01.04.2021 को आदि शेष	17,21,50,80,302	76,10,14,463	69,67,79,844	18,67,28,74,609
परिवर्धन — अन्य संगठनों से प्राप्त राशि	-	-	-	-
वर्ष के दौरान किए गए समायोजन	-	-	-	-
कुल (अ)	17,21,50,80,302	76,10,14,463	69,67,79,844	18,67,28,74,609
घटा — वर्ष (ब) के दौरान वास्तविक भुगतान	1,16,22,79,672	8,92,61,806	5,66,35,764	1,30,81,77,242
31.03.2022 को उपलब्ध शेष स (अ-ब)	16,05,28,00,630	67,17,52,657	64,01,44,080	17,36,46,97,367
बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार 31.03.2022 को अपेक्षित प्रावधान (द)	15,10,85,94,375	87,84,49,498	77,55,61,958	16,76,26,05,831
क. चालू वर्ष 2021-22 में किया जाने वाला प्रावधान (द-स)	(94,42,06,255)	20,66,96,841	13,54,17,878	(60,20,91,536)
ख. नयी पेंशन योजना में अंशदान	-	-	-	-
ग. सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	-	-	-	-
घ. सेवानिवृत्ति पर मूलनिवास स्थान को यात्रा	-	-	-	-
ड. जमा लिंक बीमा भुगतान	-	-	-	-
कुल (क+ख+ग+घ)	(94,42,06,255)	20,66,96,841	13,54,17,878	(60,20,91,536)

टिप्पणी—

1. इस उप-अनुसूची का योग (क+ख+ग+घ) अनुसूची 15 में सेवानिवृत्ति तथा सेवांत हितलाभ की राशि के रूप में दर्शाया जाएगा।
2. मर्दे ख, ग, घ एवं ड का प्रोद्भवन आधार पर लेखा किया जाएगा तथा इसमें 31/3/2022 को अधिमान्य किंतु भुगतान के लिए बकाया बिल शामिल होंगे।

मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 16 — अकादमिक व्यय

राशि ₹ में

	विवरण	चालू वर्ष 2021-22			पिछला वर्ष 2020-21		
		पूँजीगत	राजस्व	कुल	पूँजीगत	राजस्व	कुल
क.	प्रयोगशाला व्यय	-	9,81,364	9,81,364	-	25,945	25,945
ख.	क्षेत्र कार्य/सम्मेलनों में प्रतिभागिता	-	-	-	-	-	-
ग.	संगोष्ठियों/कार्यशालाओं पर व्यय	-	38,50,22,700	38,50,22,700	-	47,83,63,288	47,83,63,288
घ.	विज़िटिंग फैकल्टी को भुगतान	-	-	-	-	-	-
ड.	परीक्षा	-	-	-	-	-	-
च.	विद्यार्थी कल्याण व्यय	-	10,36,561	10,36,561	-	12,54,418	12,54,418
छ.	प्रवेश व्यय	-	-	-	-	-	-
ज.	दीक्षांत समारोह व्यय	-	-	-	-	-	-
झ.	प्रकाशन*	-	2,45,89,29,333	2,45,89,29,333	-	2,34,81,46,932	2,34,81,46,932
ञ.	अध्येतावृत्ति/साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति	-	50,37,793	50,37,793	-	73,21,460	73,21,460
ट.	अभिदान व्यय	-	-	-	-	-	-
ठ.	अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	97,71,866	97,71,866	-	22,85,438	22,85,438
	कुल	-	2,86,07,79,618	2,86,07,79,618	-	2,83,73,97,481	2,83,73,97,481

*प्रकाशन (स्टॉक में परिवर्तन शामिल है।)

मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 17 — प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय

राशि ₹ में

विवरण	चालू वर्ष 2021-22			पिछला वर्ष 2020-21		
	पूँजीगत	राजस्व	कुल	पूँजीगत	राजस्व	कुल
अ. अवसंरचना						
क) विद्युत एवं बिजली	-	6,68,06,764	6,68,06,764	-	6,14,19,556	6,14,19,556
ख) जल प्रभार	-	29,80,672	29,80,672	-	90,87,727	90,87,727
ग) बीमा	-	-	-	-	-	-
घ) किराया, देरें एवं कर (संपत्ति कर सहित)	-	21,12,98,009	21,12,98,009	-	19,42,53,245	19,42,53,245
ब. संचार						
ड) डाक एवं लेखन सामग्री	-	1,19,78,810	1,19,78,810	-	37,01,062	37,01,062
च) टेलीफोन, फ़ैक्स तथा इंटरनेट प्रभार	-	23,74,229	23,74,229	-	27,74,640	27,74,640
स. अन्य						
छ) मुद्रण एवं लेखन सामग्री (उपभोग)	-	6,74,517	6,74,517	-	1,33,680	1,33,680
ज) यात्रा एवं वाहन व्यय	-	6,19,392	6,19,392	-	66,703	66,703
झ) आतिथ्य	-	6,25,652	6,25,652	-	13,54,121	13,54,121
ञ) लेखापरीक्षक पारिश्रमिक	-	15,96,387	15,96,387	-	16,43,838	16,43,838
ट) संव्यावसायिक प्रभार	-	8,26,834	8,26,834	-	13,13,697	13,13,697
ठ) विज्ञापन एवं प्रचार	-	48,15,779	48,15,779	-	61,90,786	61,90,786
ड) पत्रिकाएँ एवं दैनिकी	-	-	-	-	-	-
ढ) कार्यालय व्यय	-	17,82,28,434	17,82,28,434	-	11,84,66,012	11,84,66,012
ण) अन्य	-	11,93,34,189	11,93,34,189	-	12,45,69,019	12,45,69,019
कुल	-	60,21,59,668	60,21,59,668	-	52,49,74,086	52,49,74,086

मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 18— परिवहन व्यय

राशि ₹ में

विवरण	चालू वर्ष 2021-22			पिछला वर्ष 2020-21		
	पूँजीगत	राजस्व	कुल	पूँजीगत	राजस्व	कुल
1. वाहन (संस्था के स्वामित्व में)						
अ) संचालन व्यय	-	4,50,531	4,50,531	-	5,31,282	5,31,282
ब) मरम्मत एवं रखरखाव	-	8,57,278	8,57,278	-	6,95,870	6,95,870
स) बीमा व्यय	-	-	-	-	-	-
2. किराए/पट्टे पर लिए गए वाहन						
अ) किराया/पट्टा व्यय	-	-	-	-	-	-
3. वाहन (टैक्सी) भाड़ा व्यय						
	-	3,92,324	3,92,324	-	4,98,248	4,98,248
कुल	-	17,00,133	17,00,133	-	17,25,400	17,25,400

36

मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 19— मरम्मत एवं रखरखाव

राशि ₹ में

विवरण	चालू वर्ष 2021-22			पिछला वर्ष 2020-21		
	पूँजीगत	राजस्व	कुल	पूँजीगत	राजस्व	कुल
क) भवन	-	50,11,48,509	50,11,48,509	-	10,53,97,754	10,53,97,754
ख) फ़र्नीचर एवं फिक्सचर	-	78,77,156	78,77,156	-	1,04,78,151	1,04,78,151
ग) पूँजी एवं मशीनरी	-	-	-	-	-	-
घ) कार्यालय उपकरण	-	-	-	-	-	-
ड) कंप्यूटर	-	-	-	-	-	-
च) प्रयोगशाला एवं वैज्ञानिक उपस्कर	-	-	-	-	-	-
छ) श्रुव्य-दृश्य उपस्कर	-	-	-	-	-	-
ज) सफ़ाई सामग्री एवं सेवा	-	-	-	-	-	-
झ) पुस्तक जिल्दसाजी प्रभार	-	-	-	-	-	-
ञ) बागवानी	-	-	-	-	-	-
ट) संपदा रखरखाव	-	-	-	-	-	-
ठ) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	2,19,994	2,19,994	-	60,09,745	60,09,745
कुल	-	50,92,45,659	50,92,45,659	-	12,18,85,650	12,18,85,650

37

मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 20 — वित्त लागत

राशि ₹ में

विवरण	चालू वर्ष 2021-22			पिछला वर्ष 2020-21		
	पूँजी	राजस्व	कुल	पूँजी	राजस्व	कुल
क) बैंक प्रभार	-	5,40,269	5,40,269	-	1,95,546	1,95,546
ख) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-
कुल	-	5,40,269	5,40,269	-	1,95,546	1,95,546

टिप्पणी—

यदि राशि महत्वपूर्ण नहीं हो तो बैंक प्रभार के शीर्ष को हटाया जा सकता है और इनका लेखाकरण अनुसूची 17 में प्रशासनिक व्यय में किया जा सकता है।

मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 21 — अन्य व्यय

राशि ₹ में

विवरण	चालू वर्ष 2021-22			पिछला वर्ष 2020-21		
	पूँजीगत	राजस्व	कुल	पूँजीगत	राजस्व	कुल
क) अशोध्य और संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-
ख) अवसूलीय शेष बट्टे खाते डाले गए	-	-	-	-	-	-
ग) स्थायी परिसंपत्तियाँ बट्टे खाते डाली गयी	-	-	-	-	-	-
घ) अन्य संस्थानों/संगठनों को अनुदान/ आर्थिक सहायता	-	-	-	-	-	-
ड) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-

39

मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 22 — पूर्वावधि व्यय

राशि ₹ में

विवरण	चालू वर्ष 2021-22			पिछला वर्ष 2020-21		
	पूँजीगत	राजस्व	कुल	पूँजीगत	राजस्व	कुल
1. स्थापना व्यय	-	-	-	-	-	-
2. अकादमिक व्यय	-	-	-	-	-	-
3. प्रशासनिक व्यय	-	-	-	-	-	-
4. परिवहन व्यय	-	-	-	-	-	-
5. मरम्मत एवं रखरखाव	-	-	-	-	-	-
6. कार्यक्रम व्यय	-	-	-	-	-	-
7. अन्य व्यय	-	1,68,608	1,68,608	-	9,25,71,105	9,25,71,105
कुल	-	1,68,608	1,68,608	-	9,25,71,105	9,25,71,105

40

मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
ग. 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

राशि ₹ में

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21	भुगतान	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
1. आदि शेष			1. व्यय		
अ) नकद शेष			क) स्थापना व्यय	2,19,83,56,325	2,09,77,06,227
ब) बैंक शेष			ख) अकादमिक व्यय	1,76,04,78,321	1,63,55,86,693
(i) चालू खातों में	24,351	24,351	ग) प्रशासनिक व्यय	1,45,74,56,216	1,36,48,20,968
(ii) जमा खातों में	18,075	18,091	घ) परिवहन व्यय	53,25,032	34,31,313
(iii) बचत खातों में	1,14,93,70,496	1,20,43,14,525	ङ) मरम्मत एवं रखरखाव व्यय	33,82,95,638	36,89,41,669
			च) पूर्व अवधि व्यय	-	-
2. प्राप्त अनुदान					
अ) भारत सरकार से	3,19,74,16,739	3,88,42,00,000	2. उद्दिष्ट/अक्षय निधि के लिए भुगतान	-	-
ब) भारत की राज्य सरकार से	-	-			
स) अन्य स्रोतों से (यू.एन.एफ़.पी.ए./ ए.ई.पी. से प्रतिपूर्ति की गई राशि)	-	-	3. प्रायोजित परियोजनाओं/ योजनाओं के लिए भुगतान	85,57,42,156	16,79,95,968
(पूँजीगत एवं राजस्व व्यय के लिए अनुदान/यदि उपलब्ध हो तो पृथक दर्शाया जाएगा)					

			4. प्रायोजित अध्येतावृत्तियों/छात्रवृत्तियों के लिए भुगतान	50,37,793	73,21,460
3. अकादमिक प्राप्तियाँ	8,03,64,441	6,66,71,499			
			5. किए गए निवेश और जमा—		
4. उद्दिष्ट/अक्षय निधि के लिए प्राप्तियाँ		-	अ) उद्दिष्ट/अक्षय निधियों से		-
			ब) स्व-निधि से (निवेश— अन्य)		-
5. प्रायोजित परियोजनाओं/ योजनाओं के लिए प्राप्तियाँ	68,04,22,639	26,79,24,971			
			6. अनुसूचित बैंकों में मियादी जमा	11,51,99,95,000	9,05,00,00,000
6. प्रायोजित अध्येतावृत्तियों तथा छात्रवृत्तियों की प्राप्तियाँ		-			
			7. स्थायी परिसंपत्तियों और चालू कार्य पूँजी पर व्यय—		
7. निवेश पर आय—			अ) स्थायी परिसंपत्तियाँ	23,92,18,337	36,62,30,503
अ) उद्दिष्ट/अक्षय निधि		-	ब) चालू कार्य पूँजी	-	-
ब) अन्य निवेश	5,64,07,966	10,79,84,719			
			8. सांविधिक भुगतानों सहित अन्य भुगतान	75,26,74,732	80,25,91,663
8. निम्नवत् पर प्राप्त ब्याज—					

अ) बैंक जमा	22,04,68,577	33,26,01,002	9. अनुदानों की वापसी	-	-
ब) ऋण और अग्रिम	9,33,883	16,16,210			
स) बचत बैंक खाते	2,69,39,578	3,10,73,735	10. जमा और अग्रिम	40,50,107	2,49,05,943
द) बैंक गारंटी	7,13,903	-			
9. नकदीकृत निवेश	-	-	11. अन्य भुगतान	7,46,99,51,787	6,32,00,40,005
10. अनुसूचित बैंकों में मियादी जमा नकदीकृत	9,33,00,00,000	7,67,00,00,000	12. अंतः शेष—		
			अ) हस्तगत नकद	-	-
11. अन्य आय (पूर्व-अवधि आय सहित)	3,29,19,25,664	2,67,09,84,104	ब) बैंक शेष	-	-
			चालू खाते में	57,400	24,351
12. जमा और अग्रिम	3,35,39,019	93,92,874	बचत खाते में	55,86,20,931	1,14,93,70,496
			जमा खाते में	18,076	18,075
13. विविध प्राप्तियाँ सांविधिक प्राप्तियों सहित	4,07,10,11,899	3,81,05,56,912			
14. कोई अन्य प्राप्तियाँ	5,02,57,20,623	3,30,16,22,341			
कुल	27,16,52,77,852	23,35,89,85,334	कुल	27,16,52,77,852	23,35,89,85,334

मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110016

सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

घ. सामान्य भविष्य निधि लेखा — 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

देयताएँ	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21	परिसंपत्तियाँ	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
सा.भ.नि.					
आदि शेष	1,59,05,94,482	1,53,14,58,577	निवेश	1,50,92,97,306	1,46,93,02,306
जमा — वर्ष में अभिदान	23,88,01,803	24,69,66,780	31.03.2022 को प्रोद्भूत ब्याज	5,51,48,678	4,63,56,942
जमा — जमा किया गया ब्याज	11,05,94,963	10,74,72,778			
घटा — अग्रिम/निकासी	(28,00,21,314)	(29,53,03,653)			
अंत: शेष	1,65,99,69,934	1,59,05,94,482			
अ.भ.नि.			बैंक में नकद राशि		
आदि शेष	3,34,264	3,34,264	बैंक में शेष	5,31,29,321	7,79,35,866
जमा — वर्ष में अभिदान	-	-			
जमा — जमा किया गया ब्याज	-	-			
घटा — अग्रिम/निकासी	-	-			
अंत: शेष	3,34,264	3,34,264			
अधिशेष/(घाटा)—					
आदि शेष	26,66,368	82,85,513			
घटा — आय से व्यय की अधिकता	(4,53,95,261)	(56,19,145)			
जमा — आय की व्यय से अधिकता	-	-			
अंत: शेष	(4,27,28,893)	26,66,368			
कुल	1,61,75,75,305	1,59,35,95,114	कुल	1,61,75,75,305	1,59,35,95,114

मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110016

सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
ड. सामान्य भविष्य निधि लेखा — 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

राशि ₹ में

व्यय	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21	आय	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
जमा ब्याज			निवेश पर अर्जित ब्याज	5,64,07,966	10,79,84,719
सा.भ.नि. खाता	11,05,94,963	10,74,72,778	जमा — मार्च तक प्रोद्भूत ब्याज	5,51,48,678	4,63,56,942
अ.भ.नि. खाता	-	-	घटा — पिछले वर्षों का प्रोद्भूत ब्याज	(4,63,56,942)	(5,24,88,028)
परिषद् का योगदान (अ.भ.नि.)	-	-		-	-
			व्यय की आय से अधिकता	4,53,95,261	56,19,145
कुल	11,05,94,963	10,74,72,778	कुल	11,05,94,963	10,74,72,778

मुख्य लेखाधिकारी
 रा.शै.अ.प्र.प.
 नयी दिल्ली-110016

सचिव
 रा.शै.अ.प्र.प.
 नयी दिल्ली-110016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
च. सामान्य भविष्य निधि लेखा — वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21	भुगतान	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
आदि शेष	7,79,35,866	7,82,88,020	सा.भ.नि. अग्रिम निकासी	28,00,21,314	29,53,03,653
			अ.भ.नि. अग्रिम निकासी	-	-
सा.भ.नि. अभिदान	23,88,01,803	24,69,66,780	वर्ष के दौरान किए गए निवेश	1,01,99,95,000	1,05,00,00,000
अ.भ.नि. अभिदान	-	-			
निवेश नकदीकृत	98,00,00,000	99,00,00,000	अंत शेष:		
प्राप्त ब्याज	5,64,07,966	10,79,84,719	बचत खाता	5,31,29,321	7,79,35,866
कुल	1,35,31,45,635	1,42,32,39,519	कुल	1,35,31,45,635	1,42,32,39,519

46

मुख्य लेखाधिकारी
 रा.शै.अ.प्र.प.
 नयी दिल्ली-110016

सचिव
 रा.शै.अ.प्र.प.
 नयी दिल्ली-110016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
छ. नयी पेंशन योजना — 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

देयताएँ	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21	परिसंपत्तियाँ	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
एन.पी.एस. निधि —			अंतः शेष—		
निजी अंश	1,00,91,804	73,14,555	निवेश :	50,00,000	41,13,662
परिषद अंश	1,66,28,520	1,25,80,092	जमा : वर्ष के लिए प्रोद्भूत ब्याज	75,441	60,798
अधिशेष/घाटा			प्राप्त होने वाली सदस्यता (2015-16 और 2016-2017)	42,706	42,706
आदि शेष	23,71,287	18,39,635			
वर्ष के लिए व्यय से अधिक आय	7,15,813	5,31,652			
देयताएँ —			बैंक में नकदी		
गैर-योजना ग्राहकों को भुगतान की जाने वाली राशि	16,79,508	16,86,226		2,63,68,785	1,97,34,994
कुल	3,14,86,932	2,39,52,160	कुल	3,14,86,932	2,39,52,160

मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110016

सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
ज. नयी पेंशन योजना — 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

व्यय	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21	आय	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
व्यय से अधिक आय	7,15,813	5,31,652	अर्जित ब्याज		
			एफ.डी.आर.	1,63,972	1,99,902
			बचत बैंक	5,37,198	3,42,185
			पूर्वावधि ब्याज	-	-
			जमा — वर्ष के लिए		
			प्रोद्भूत ब्याज		
			टी.डी.आर.	75,441	54,823
बचत बैंक खाता 30004257450	-	5,975			
घटा— पिछले वर्ष के लिए प्रोद्भूत ब्याज	(60,798)	(71,233)			
कुल	7,15,813	5,31,652	कुल	7,15,813	5,31,652

मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110016

सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

झ. नयी पेंशन योजना — 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

राशि ₹ में

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21	भुगतान	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
आदि शेष—			एन.एस.डी.एल. को भेजा गया भुगतान		
हस्तगत रोकड़	-	-	निजी अंश	3,72,17,749	4,59,75,597
बैंक में रोकड़	1,96,15,695	1,31,30,182	परिषद् अंश	5,20,59,341	3,31,15,380
			समायोजन	18,607	
अभिदान			एन.एस.डी.एल. को भेजा गया		
निजी अंश	4,01,19,251	4,96,26,432	2017-18 और 2018-19 का बकाया निजी अंश		
परिषद् अंश	5,61,14,704	3,57,27,172	2017-18 और 2018-19 का बकाया परिषद् अंश		
			निधि तिवारी के लिए बनाए गए दो चैक		-
गैर-पी.आर.ए.एन. प्राप्तियाँ	-	-			
निवेश भुना हुआ	41,13,662		(I) वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान किए गए निवेश	50,00,000	-

भुनाया गया निवेश पर ब्याज	1,63,972		(II) वित्त वर्ष 2017-18 से संबंधित गैर-पी.आर.ए.एन. राशियाँ	-	-
			अंत: शेष—		
			हस्तगत रोकड़	-	-
			बैंक में रोकड़	2,63,68,785	1,97,34,994
बचत बैंक खाता पर ब्याज	5,37,198	3,42,185		-	-
कुल	12,06,64,482	9,88,25,971	कुल	12,06,64,482	9,88,25,971

01.04.2021 को प्रारंभिक आदि शेष ₹ 1,97,34,994
घटा : अतिकथन राशि ₹ 1,19,299
पूर्णांक करना ₹ 1,96,15,695

50

मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110016

सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 23 — ज. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखा प्रस्तुति के लिए आधार

लेखा को परंपरागत लागत की परिपाटी और सामान्यतः लेखा की प्रोद्भवन प्रणाली के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, जब तक कि अन्यथा नहीं कहा गया हो।

2. राजस्व मान्यता

- 2.1 विद्यार्थियों से शुल्क (शिक्षा शुल्क के अलावा), प्रवेश प्रपत्रों की बिक्री, रॉयल्टी और बचत खाते पर ब्याज का लेखाकरण नकद आधार पर किया जाता है। प्रत्येक सेमेस्टर के लिए अलग से प्राप्त शिक्षा शुल्क का लेखाकरण प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।
- 2.2 भूमि, भवन और अन्य संपत्ति से आय तथा निवेश पर ब्याज का लेखाकरण प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।
- 2.3 गृह निर्माण, वाहन एवं कंप्यूटर खरीद के लिए स्टाफ को ब्याज पर दिए गए अग्रिम पर ब्याज का लेखाकरण प्रत्येक वर्ष प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है, यद्यपि ब्याज की वास्तविक वसूली मूलधन के पूर्ण पुनर्भुगतान के पश्चात आरंभ होती है।
- 2.4 पुस्तकों/विज्ञान किटों/श्रुव्य और दृश्य सी.डी. से राजस्व का लेखाकरण बिक्री आय, छूट तथा व्यापारिक बट्टे के निवल पर किया जाता है।

3. स्थायी परिसंपत्तियाँ और मूल्यहास

- 3.1 स्थायी परिसंपत्तियों को अर्जन की लागत पर दर्शाया गया है जिसमें आवक मालभाड़ा, शुल्क और कर तथा अर्जन, संस्थापन और प्रवर्तन से संबंधित संगत और प्रत्यक्ष व्यय शामिल हैं।
- 3.2 उपहार/दानस्वरूप परिसंपत्तियों को, जहाँ उपलब्ध हो घोषित मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है, घोषित मूल्य उपलब्ध न होने पर परिसंपत्ति की भौतिक स्थिति के संदर्भ में वर्तमान बाजार मूल्य पर आधारित समायोजन से अनुमानित किया जाता है। इन्हें पूँजीगत निधि से जमा पर स्थापित किया जाता है और संस्था की स्थायी परिसंपत्तियों में विलय किया जाता है। संबंधित परिसंपत्तियों पर मूल्यहास लागू दर से भारित किया जाता है।
- 3.3 स्थायी परिसंपत्तियों को लागत से संचित मूल्यहास घटाकर मूल्यांकित किया जाता है। स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान सीधी कटौती प्रणाली पर निम्नवत दरों पर किया जाता है—

मूर्त परिसंपत्तियाँ—

1. भूमि	0%
2. स्थल का विकास	0%
3. भवन	2%
4. सड़कें एवं पुल	2%
5. नलकूप एवं जलापूर्ति	2%
6. सीवर एवं जल निकास व्यवस्था	2%
7. विद्युतकीय संस्थापन एवं उपकरण	5%
8. संयंत्र और मशीनरी	5%

9. वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला उपकरण	8%
10. कार्यालय उपकरण	7.5%
11. श्रुत्य-दृश्य उपकरण	7.5%
12. कंप्यूटर एवं सहायक उपकरण	20%
13. फर्नीचर, जुड़नार एवं साज-सज्जा	7.5%
14. वाहन	10%
15. पुस्तकालय की पुस्तकें एवं वैज्ञानिक पत्रिकाएँ	10%

अमूर्त परिसंपत्तियाँ (परिशोधन)

- | | |
|-----------------------------|--------|
| 1. ई-पत्रिकाएँ | 40% |
| 2. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर | 40% |
| 3. पेटेंट एवं प्रकाशनाधिकार | 9 वर्ष |
- 3.4 वर्ष के दौरान जोड़ी गई एवं हटाई गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास पूर्ण वर्ष के लिए लगाया जाता है।
- 3.5 जब किसी परिसंपत्ति का पूर्णतया मूल्यहास होता है तो इसको तुलन पत्र में ₹ 1 के अवशिष्ट मूल्य पर रखा जाएगा और इसके आगे इसका मूल्यहास नहीं किया जाएगा। तत्पश्चात प्रत्येक वर्ष के लिए अतिरिक्त परिवर्धन पर मूल्यहास की गणना अलग से उस परिसंपत्ति शीर्ष पर लागू मूल्यहास की दर पर की जाती है।
- 3.6 उद्दिष्ट निधियों और प्रायोजित परियोजनाओं की निधियों से सृजित परिसंपत्तियाँ, जहाँ ऐसी परिसंपत्तियों का स्वामित्व संस्था में निहित है, पूँजीगत निधि से जमा पर स्थापित की जाती हैं और संस्था की स्थायी परिसंपत्तियों में इनका विलय कर दिया जाता है। संबंधित परिसंपत्तियों पर मूल्यहास लागू दर से प्रभारित किया जाता है।
- 3.7 जिन परिसंपत्तियों में प्रत्येक का मूल्य ₹ 2000/- या कम है (पुस्तकालय पुस्तकों के अलावा) उनको लघु मूल्य परिसंपत्तियाँ माना जाता है, ऐसी परिसंपत्तियों के लिए उनके अर्जन के समय 100% मूल्यहास लगाया जाता है। तथापि, ऐसी परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष लेखाकरण और नियंत्रण इनके धारकों द्वारा किया जाता है।
- 3.8 के.लो.नि.वि. विभाग/एकक से प्राप्त उपभोग प्रमाण पत्र के आधार पर स्थायी परिसंपत्तियों की पहचान करना रा.शै.अ.प्र.प. की परिपाटी है।

4. अमूर्त परिसंपत्तियाँ

पेटेंट एवं प्रकाशनाधिकार, ई-पत्रिकाएँ और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को अमूर्त परिसंपत्तियों के समूह में रखा गया है।

- 4.1 **पेटेंट**— पेटेंट प्राप्त करने के लिए समय-समय पर किए गए खर्च (आवेदन शुल्क, कानूनी खर्च आदि) का अस्थायी तौर पर पूँजीकरण कर दिया जाता है जो तुलन पत्र में अमूर्त परिसंपत्तियों के भाग के रूप में दर्शाया जाता है। यदि पेटेंट्स के लिए आवेदन अस्वीकार होते हैं तो पेटेंट विशेष पर किए गए संचयी खर्च को आवेदन के अस्वीकार किए गए वर्ष के आय एवं व्यय लेखा के बड़े खाते डाला जाएगा। प्रदत्त पेटेंटों पर किए गए खर्च को परिमित आधार पर 9 वर्ष की अवधि में बड़े खाते डाला जाएगा।
- 4.2 **इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाएँ**— ई-पत्रिकाओं को इस दृष्टि से पुस्तकालय की पुस्तकों से अलग किया गया है क्योंकि उनको ऑनलाइन उपलब्ध करवाने से सीमित लाभ प्राप्त किए जा सकते थे। ई-पत्रिकाएँ मूर्त रूप में नहीं हैं परंतु अस्थायी रूप से पूँजीकृत हैं और अकादमिक तथा अनुसंधान स्टाफ द्वारा अर्जन किए गए निरंतर ज्ञान के संबंध में खर्च की मात्रा और प्राप्त लाभ को दृष्टिगत रखते हुए ई-पत्रिकाओं पर मूल्यहास 40% की उच्चतर दर से लगाया गया जो कि पुस्तकालय की पुस्तकों पर लगाए जाने वाले मूल्यहास के प्रावधान 10% से अधिक लगाई गई है।

- 4.3 सॉफ्टवेयर के अधिग्रहण पर खर्च को कंप्यूटरों और सहायक उपकरणों से अलग किया गया है क्योंकि अमूर्त परिसंपत्तियां होने के अलावा इनके संबंध में अप्रचलन की दर बहुत अधिक है। सॉफ्टवेयर के संबंध में दी गई मूल्यहास की 40% उच्चतर दर कंप्यूटरों एवं सहायक उपकरणों के मूल्यहास पर लगाए जाने वाले मूल्यहास के प्रावधान 20% की दर से अधिक लगाई गई है।

5. सेवानिवृत्ति हितलाभ

- 5.1 सेवानिवृत्ति हितलाभ अर्थात् पेंशन, उपदान और छुट्टी का नकदीकरण बीमांकिक मूल्य न आधार पर प्रदान किए जाते हैं। संस्था में आमेलित कार्मिकों के पूर्व नियोक्ताओं से प्राप्त पेंशन और उपदान के पूँजीकृत मूल्य को संबंधित प्रावधान लेखा में जमा किया जाता है। प्रतिनियुक्ति पर कार्मिकों के लिए प्राप्त पेंशन अंशदान को भी पेंशन लेखा के प्रावधान में जमा किया जाता है। पेंशन, उपदान और छुट्टी के नकदीकरण के वास्तविक भुगतान को संबंधित प्रावधानों के लेखा में नामे डाला जाता है। अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ, जैसे— जमा लिंक बीमा, नयी पेंशन योजना में अंशदान, सेवानिवृत्त कार्मिकों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति और सेवानिवृत्ति पर मूल निवास स्थान को यात्रा का लेखाकरण प्रोद्भवन (वास्तविक भुगतान जमा वर्ष के अंत में बकाया बिल) आधार पर किया जाता है।

6. निवेश

- 6.1 दीर्घावधि निवेश उनकी लागत या अंकित मूल्य में से जो भी कम हो उस पर रखे जाते हैं। तथापि, तुलन पत्र की तिथि को उनके मूल्य में किसी स्थायी हास के लिए प्रावधान किया जाता है।
- 6.2 अल्पावधि निवेश उनकी लागत या बाजार मूल्य (यदि उद्धृत किया गया है) में से जो भी कम हो उस पर रखे जाते हैं।

7. उद्दिष्ट/अक्षय निधियाँ

- 7.1 पूँजीगत निधि— प्रारंभ से ही अर्थात् 1961 से सहायता अनुदान मा.सं.वि.मं. से वर्षानुवर्ष आधार पर प्राप्त होते हैं जिस में से राजस्व/पूँजीगत प्रकार का खर्च किया जाता है। प्राप्त सहायता अनुदान से सृजित परिसंपत्तियों को परिषद् की पूँजीगत निधि में जमा के द्वारा संस्था न की परिसंपत्तियों में डाला जाता है और संस्थागत व्यय के रूप में किए गए राजस्व व्यय को आय में विलय करके इसे आय एवं व्यय लेखा में प्रभारित किया जाता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, संस्था प्रत्येक शीर्ष/उपशीर्ष के अंतर्गत उपयोग किए गए सहायता अनुदान के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र सरकार को प्रस्तुत करती है।
- 7.2 भविष्य निधि/नई पेंशन योजना में शेष को अग्रणीत किया जाता है और इसे बैंक, निवेश तथा प्रोद्भूत ब्याज के शेष में परिसंपत्तियाँ शीर्ष में प्रस्तुत किया जाता है।

8. सरकारी अनुदान

- 8.1 सरकारी अनुदानों का लेखाकरण नकदीकरण आधार पर किया जाता है। तथापि जब वित्तीय वर्ष से संबंधित अनुदान जारी करने के लिए संस्वीकृति 31 मार्च से पूर्व प्राप्त होती है परंतु अनुदान की राशि वास्तव में अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त होती है तो इस अनुदान का लेखाकरण प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है और इसके समान राशि को अनुदानकर्ता से वसूली योग्य राशि के रूप में दर्शाया जाता है।
- 8.2 पूँजीगत व्यय (प्रोद्भवन आधार पर) के लिए उपयोग की गई मात्रा तक सरकारी अनुदानों को पूँजीगत निधि में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
- 8.3 राजस्व व्यय (प्रोद्भवन आधार पर) को पूरा करने के लिए उपयोग की गई मात्रा तक के सरकारी अनुदानों को उस वर्ष की आय माना जाता है जिस में वे नकदीकृत हुए।
- 8.4 अप्रयुक्त अनुदानों (ऐसे अनुदानों से दिए गए अग्रिमों सहित) को अग्रणीत किया जाता है और तुलन पत्र में देयता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

9. उद्दिष्ट निधियों का निवेश और ऐसे निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज रूपी आय

व्यय के लिए जिस मात्रा तत्काल आवश्यकता नहीं है, ऐसी निधियों में से उपलब्ध धनराशियों को अनुमोदित प्रतिभूतियों एवं बॉन्ड में निवेश किया जाता है या बैंकों में नियत अवधि के लिए जमा किया जाता है, शेष को बचत बैंक खाते में छोड़ा जाता है। ऐसे निवेशों पर प्राप्त ब्याज, प्रोद्भूत एवं देय ब्याज तथा ब्याज प्रोद्भूत परंतु देय नहीं, को संबंधित निधियों में जोड़ा जाता है और इसे संस्थान की आय नहीं माना जाता।

10. प्रायोजित परियोजनाएँ

10.1 जारी प्रायोजित परियोजनाओं के संबंध में प्रायोजकों से प्राप्त धनराशियों को 'चालू देयताएँ और प्रावधान — चालू देयताएँ — अन्य देयताएँ — जारी प्रायोजित परियोजनाओं की प्राप्तियाँ' शीर्ष में जमा किया गया है। ऐसी परियोजनाओं में से जब कभी खर्च किया जाता है/अग्रिम भुगतान किए जाते हैं या आबंटित ऊपरी प्रभागों को संबंधित परियोजना खाते में नामे डाला जाए तो देयता लेखा के नामे डाला जाता है।

10.2 संस्था स्वयं भी अध्येतावृत्तियाँ एवं छात्रवृत्तियाँ प्रदान करती है जिनका लेखाकरण अकादमिक व्यय के रूप में किया जाता है।

11. माल मूल्य

पुस्तकों, कागजों, ब्लॉकों और विज्ञान किटों के माल का मूल्य लागत पर किया जाता है। पुस्तकों के मामले में मूल लागत, मुद्रित मूल्य पर औसत आधार पर छूट प्रदान करने के उपरांत निकाली जाती है।

12. आयकर

आयकर अधिनियम की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत संस्थान की आय को आयकर से मुक्त रखा गया है। अतएव लेखा में आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

13. व्यय

रा.शै.अ.प्र.प. प्रत्येक वर्ष 12 महीनों अर्थात् मार्च से फ़रवरी तक प्रदान वेतन करने की परिपाटी का पालन करती है, इस वर्ष भी इसी परिपाटी का पालन किया गया है।

मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 24 — ट. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा पर टिप्पणियाँ

आकस्मिक देयताएँ और लेखा पर टिप्पणियाँ

1. आकस्मिक देयताएँ

- 1.1 पूर्व/वर्तमान कार्मिकों, किराएदारों और संविदाकारों द्वारा संस्था के विरुद्ध दायर अदालती मामले तथा संविदाकारों के साथ माध्यस्थम् मामले 31.3.2022 को निर्णयों के लिए लंबित थे। कार्मिकों द्वारा दायर मुकदमे स्थापना से संबंधित हैं अर्थात् पदोन्नति, वेतनवृद्धि, वेतनमान और सेवा-समाप्ति आदि, जिस में दावों की मात्रा को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है। 31.03.2022 को संस्था की ओर से बैंक द्वारा स्थापित बकाया साख-पत्र-शून्य।
- 1.2 31.03.2022 को बिक्री कर एवं निगम कर की बकाया विवादित मांग-शून्य

2. पूँजीगत प्रतिबद्धताएँ

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार पूँजीगत खाता पर निष्पादित किए जाने वाले शेष संविदाओं का मूल्य नहीं दिया गया है— सी.पी.डब्ल्यू.डी. के साथ 31.03.2022 को बकाया अंतःशेष राशि ₹ 175.98 करोड़ अनुसूची 8 पर दी गई है।

3. स्थायी परिसंपत्तियाँ

- 3.1 **मूर्त परिसंपत्तियाँ**— वर्ष 2021-22 के दौरान किए गए परिवर्धनों के संबंध में पूँजीगत निधियों और राजस्व निधियों से सृजित स्थायी परिसंपत्तियों को पृथक रूप से दर्शाया गया है। उन परिवर्धनों पर मूल्यहास स्थायी परिसंपत्तियों की मुख्य अनुसूची (अनुसूची 4) की उप-अनुसूची 4(क) तथा 4(ख) में स्पष्ट रूप से दिया गया है।
- 3.2 **अमूर्त परिसंपत्तियाँ**— लेखा के नये संरूप के परिणामस्वरूप अमूर्त परिसंपत्तियों को परिसंपत्ति विवरण में पृथक रूप से दर्शाया जा रहा है। तदनुसार सृजित अमूर्त परिसंपत्तियों को परिसंपत्ति विवरण/पूँजीगत निधि में दर्शाया गया है।
- 3.3 अनुसूची 4 में स्थायी परिसंपत्तियों में वर्ष के दौरान किए गए परिवर्धनों में पूँजीगत और राजस्व शीर्षों के अंतर्गत क्रमशः ₹ 18.75 करोड़ एवं ₹ 7.07 करोड़ की खरीद की परिसंपत्तियाँ शामिल हैं। प्रायोजित परियोजनाओं और उपहार स्वरूप परिसंपत्तियों के अंतर्गत वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों में किए गए परिवर्धनों का विवरण क्रमशः ₹ 6.95 करोड़ और ₹ 0.31 करोड़ है और तदनुसार पूँजीगत निधि में जमा स्थापित किए गए हैं।

4. मूल्यहास

- 4.1 लेखा नीति में परिवर्तन के अनुपालन में दिनांक 01.04.2014 से परिसंपत्तियों पर मूल्यहास की दरें संशोधित निर्धारित दरों के अनुसार लगाई गई हैं। इसके अतिरिक्त, संशोधित लेखा नीति के संबंध में मूल्यहास प्रत्यक्ष कटौती प्रणाली पर प्रभारित किया गया है। तथापि, चूँकि परिसंपत्तियों की मूल लागत उपलब्ध नहीं है, अतः मूल्यहास 01 अप्रैल, 2015 को प्रत्यक्ष कटौती प्रणाली में परिसंपत्तियों के हासित मूल्य पर प्रभारित किया गया है। पूर्णतया बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियों के अवशिष्ट मूल्य को ₹ 1 के साथ में दर्शाया जाना पूर्ण विवरण के अभाव में अभिनिश्चित नहीं किया जा सका।
- 4.2 इसके अतिरिक्त, उन परिसंपत्तियों के संबंध में जिनकी मूल्यहास की दरें निर्धारित नहीं हैं, उन में उसी प्रकार की परिसंपत्तियों की दरें लागू की गई हैं। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2015 तक अवशिष्ट मूल्य ₹ 1 पर अर्जित की गई/खरीदी गई स्थायी परिसंपत्तियों के विवरण की अभाव में लेखा में प्रकटीकरण अभिनिश्चित नहीं किया जा सका।

5. नए संरूप के अनुसार लेखा का संकलन

- 5.1 लेखा का संकलन प्राप्त एवं भुगतान लेखा तथा परिषद् के संबंधित एककों से प्राप्त अतिरिक्त जानकारी के आधार पर किया गया है।
- 5.2 इसके अतिरिक्त, चूंकि इस संरूप को शैक्षिक संस्थाओं के लिए प्रारूपित किया गया है, संस्था का प्रमुख ध्येय गुणकारी शिक्षा प्रदान करना है जिसके लिए देश में विद्यालय स्तर की शिक्षा तक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण/विकास/कार्यक्रम/संगोष्ठियाँ/सम्मेलनों के आयोजन और पाठ्यचर्या, पाठ्यविवरण के विकास पर पर्याप्त राशि खर्च की गई है। तदुसार जहाँ कहीं भी निर्धारित लेखा फॉर्मेट से लेखा प्रस्तुति में कोई विचलन है, उसका प्रकटीकरण किया गया है।

6. सेवानिवृत्ति हितलाभ

31 मार्च, 2022 तक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति हितलाभ (उपदान, पेंशन और छुट्टी के नकदीकरण) के लिए ₹ 1676.26 करोड़ की देयता का प्रावधान बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित कर लिया गया। तथापि सेवानिवृत्त कार्मिकों को उपदान, छुट्टी नकदीकरण और पेंशन के चालू वर्ष के भुगतान को आय एवं व्यय लेखा की अनुसूची 15क के अंतर्गत दर्शाया गया है।

7. विदेशी मुद्रा में व्यय

वर्ष के दौरान निम्नानुसार शीर्षों में किए गए व्यय का विवरण है—

क) यात्रा	₹ शून्य
ख) रसायन आदि के आयात हेतु विदेशी ड्राफ्ट	₹ शून्य
ग) अन्य	₹ शून्य

8. चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम और जमा

प्रबंधन के विचार में चालू परिसंपत्तियों, ऋणों, अग्रिमों और जमा की सामान्य प्रक्रिया में नकदीकरण पर मूल्य कम से कम तुलन पत्र में दर्शाई गई समग्र धनराशि के बराबर होना चाहिए।

बैंकों में बचत बैंक खातों और मियादी जमा खातों में शेष का विवरण चालू परिसंपत्तियों की अनुसूची 7 के संलग्नक में दर्शाया गया है। अनुसूची 3 चालू देयताएँ में ₹ 43,618 तक की आयकर देयताएँ दर्शाई गई हैं।

9. भविष्य निधि और नई पेंशन योजना

चूंकि भविष्य निधि खाता और नई पेंशन योजना खाता संस्थान की निधि का भाग नहीं है, ये इन निधियों के सदस्यों के स्वामित्व में हैं न कि संस्था के पास हैं, इसलिए उन्हें अलग से दर्शाया गया है। वर्ष 2021-22 के लिए भविष्य निधि लेखा का प्राप्त और भुगतान लेखा, आय एवं व्यय लेखा (प्रोद्भवन आधार) और तुलन पत्र को संस्था के लेखा के साथ संलग्न किया गया है।

10. केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को अग्रिमों की स्थिति

10.1 1 अप्रैल, 2021 को के.लो.नि.वि. को कुल अग्रिम ₹ 194.15 करोड़ में से पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत ₹ 10.10 करोड़ का निपटान परिसंपत्तियों के अर्जन द्वारा किया गया है। राजस्व शीर्ष के अंतर्गत ₹ 50.11 करोड़ के अग्रिम राशि का भी वर्ष 2021-22 के दौरान भूमि एवं भवन के मरम्मत एवं रखरखाव के लिए राजस्व व्यय के रूप में दर्ज करते हुए निपटान कर दिया गया है।

10.2 वर्ष के दौरान के.लो.नि.वि./ई.डी.सी.आई.एल./एम.पी.यू.वी.एल. को भुगतान किए गए अग्रिमों की स्थिति अन्य बातों के साथ-साथ अर्जित की गई परिसंपत्तियों का विवरण और पूंजीगत एवं राजस्व शीर्ष के अंतर्गत किए गए राजस्व व्यय को दर्शाते हुए निम्नवत प्रस्तुत किया गया है—

10.2.1 राजस्व शीर्ष

राजस्व शीर्ष : सी.पी.डब्ल्यू.डी. अग्रिम	राजस्व शीर्ष भूमि एवं भवन	राजस्व शीर्ष ई. एवं एफ.	कुल
आदिशेष (क)	₹ 1,11,14,68,096/-	₹ 22,50,000/-	₹ 1,11,37,18,096/-
2021-22 के दौरान दिए गए अग्रिम (ख)	₹ 32,02,86,231/-	-	₹ 32,02,86,231/-
2021-22 में अधिग्रहीत/समायोजित (ग)	₹ 50,11,48,509/-	-	₹ 50,11,48,509/-
अंतः शेष (क+ख-ग)	₹ 93,06,05,818/-	₹ 22,50,000/-	₹ 93,28,55,818/-

10.2.2 पूँजीगत शीर्ष

पूँजीगत शीर्ष : सी.पी.डब्ल्यू.डी. अग्रिम	राजस्व शीर्ष भूमि एवं भवन	राजस्व शीर्ष ई. एवं एफ.	कुल
आदिशेष (क)	₹ 82,62,31,430/-	₹ 15,39,057/-	₹ 82,77,70,487/-
2021-22 के दौरान दिए गए अग्रिम (ख)	₹ 10,01,86,890/-	-	₹ 10,01,86,890/-
2021-22 में अधिग्रहीत / समायोजित (ग)	₹ 10,10,27,631/-	-	₹ 10,10,27,631/-
अंतः शेष (क+ख-ग)	₹ 82,53,90,689/-	₹ 15,39,057/-	₹ 82,69,29,746/-

11. आय एवं व्यय लेखा (अनुसूची 13) में दिखाई गई पुस्तकों/सी.डी. और पत्रिकाओं की बिक्री से आय का विवरण निम्नानुसार है

विवरण		राशि
	समेकित प्राप्त एवं भुगतान लेखा 2021-22 में दर्शाई गई पुस्तकों और पत्रिकाओं की बिक्री से आय	₹ 2,749,616,479
जमा	क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों को की गई उधार बिक्री	₹ 2,327,393
घटा	गत वित्तीय वर्षों के दौरान क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों से उधार बिक्री के लिए प्राप्त भुगतान/पुस्तकें वापिस	₹ 1,302,096
जमा	चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आपूर्ति की गई पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ जिसके लिए गत वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त अग्रिम	₹ 169,607,316
घटा	पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ जिनके लिए चालू वित्तीय वर्ष में अग्रिम प्राप्त किया गया, परंतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पुस्तकों की आपूर्ति नहीं की जा सकी	₹ 233,165,152
जमा	ग्राहकों को बिक्री पर छूट	₹ 811,549,832
	समेकित आय एवं व्यय लेखा 2021-22 में दर्शाई गई पुस्तकों और पत्रिकाओं की बिक्री से आय	₹ 3,498,633,772

12. मंत्रालय से प्राप्त सहायता अनुदान की शीर्ष-वार स्थिति, इस में किया गया व्यय और 31.03.2022 को अव्ययित शेष की स्थिति निम्नवत है—

(आंकड़े लाखों में)

शीर्ष	01.04.2021 को आदिशेष	प्राप्त अनुदान 2021-22	कुल उपलब्ध निधि	व्यय	31.03.2022 को अव्ययित शेष
वेतन	₹ 2,456.14	₹ 12,544.00	₹ 15,000.14	₹ 13,441.37	₹ 1,558.77
राजस्व (सामान्य)	₹ 1,846.17	₹ 17,530.58	₹ 19,376.75	₹ 18,469.39	₹ 907.36
पूँजीगत	-	₹ 1,836.14	₹ 1,836.14	₹ 1,866.73	-
एन.ई.आर.	₹ 9.06	₹ 63.45	₹ 72.51	₹ 63.13	₹ 9.38
कुल	₹ 4,311.37	₹ 31,974.17	₹ 36,285.54	₹ 33,840.63	₹ 2,475.52

टिप्पणियाँ—

निम्नवत् शीर्ष के अंतर्गत शेषराशि अर्थात् ₹ 24,75,51,690/- संबंधित शीर्षों के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान समायोज्य होगी—

(अ) वेतन	:	₹ 15,58,76,878/-
(ब) राजस्व (सामान्य)	:	₹ 9,07,36,887/-
(स) एन.ई.आर.	:	₹ 9,37,924/-

टिप्पणी— मार्च 2022 के महीने के वेतन के भुगतान के लिए 01.04.2022 को देय ₹ 15,58,76,878/- की राशि टी.एस.ए. से रा.शै.अ.प्र.प. के वाणिज्यिक बैंक खाते में स्थानांतरित की गई थी।

- मार्च 2022 के महीने के लिए 01.04.2022 को देय पेंशन के भुगतान के लिए रा.शै.अ.प्र.प. के वाणिज्यिक बैंक खाते में टीएसए से ₹ 90,736,887/- की राशि हस्तांतरित की गई।
- एन.ई.आर. शीर्ष के तहत ₹ 9,37,924/- की अव्ययित शेष राशि को वर्ष 2022-23 के दौरान समायोजित किया जाएगा।
- क्रमशः राजस्व (सामान्य) शीर्ष तथा पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत सहायता अनुदान के अतिरिक्त शून्य रूपे और ₹ 30,59,241/- तक की निधियों के घाटे को परिषद् की आंतरिक विविध प्राप्तियों से पूरा किया गया है।
- अतिरिक्त उत्पन्न वित्तीय भार ₹ 11,33,18,786/- का 30% रा.शै.अ.प्र.प. को वहनीय है तथा इसका लेखाकरण किया गया है (अर्थात् वेतन पर कुल व्यय ₹ 145,74,56,216/- घटाए गए ₹11,33,18,786/- में से) और वेतन शीर्ष के अंतर्गत निवल व्यय ₹ 134,41,37,430/- दर्शाया गया है। इस धनराशि को अनुदान/सब्सिडी (प्राप्त अशोध्य अनुदान) शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची संख्या 10 में दर्शाया गया है।

13. बैंक समाधान विवरणी

13.1 यह प्रकट हुआ है कि परिषद् के बैंक खाता संख्या 64072949232 (आर.आई.ई. मैसूर) के संबंध में 31.03.2021 को बैंक की शेष राशि के विवरण के अनुसार 1,00,000/- के स्थान पर ली गई नकद बही के अनुसार ₹ 107,978/- का समापन शेष और परिषद् के बैंक खाता संख्या 38950734642 (आर.आई.ई. मैसूर) 31.03.2021 को बैंक विवरण में लिए गए खातों में नकद बही के अनुसार ₹ 6209/- के स्थान पर ₹ 9410/- का समापन शेष था। इसका प्रभाव चालू वर्ष में लिया गया है।

14. जैसा कि एस.ए.आर. में बताया गया है, एन.पी.एस. बैंक खाते के 31.03.2021 को समापन शेष में ₹ 1,19,299/- का अंतर है और इसका प्रभाव चालू वर्ष में लिया गया है।
15. जैसा कि एस.ए.आर. में सलाह दी गई है, सभी बैंक खातों का विवरण अनुलग्नक क में अनुसूची का हिस्सा होने के नाते दिखाया गया है।
16. एस.ए.आर. में दी गई सलाह के अनुसार प्रायोजित परियोजना के अप्रयुक्त अनुदान को वित्तीय विवरणी की अनुसूची संख्या 3 में अलग से दर्शाया गया है।
17. एस.ए.आर. में उल्लिखित के अनुसार, 31.03.2021 को मार्गस्थ प्रकाशन प्रभाग के ₹ 3.53 करोड़ का स्टॉक चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2021-22 के दौरान प्राप्त किया गया था। लेखा बही में कोई समायोजन अपेक्षित नहीं है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान इसको अन्य गोदाम स्टॉक के रूप में माना जा चुका है। इसके अतिरिक्त 31.03.2022 को मार्गस्थ स्टॉक को भी वित्तीय विवरणी के चालू परिसंपत्तियों के तहत माना गया है।
18. जैसा कि एस.ए.आर. में बताया गया है कि अप्रैल 2017 में तय किए गए चिकित्सा व्यय के कारण ₹ 4.40 लाख की राशि को गलत तरीके से अनुसूची 3 में दिखाया गया था, जिसे चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में ठीक कर दिया गया है। आगे इसमें यह भी बताया गया कि वर्ष 2016-17 की अनुसूची 3 में ₹ 36,752/- की राशि गलत तरीके से पेंशन देयताओं में दर्शाई गई थी, जिसे सुधारा गया है।
19. जैसा कि एस.ए.आर. में बताया गया है, ₹ 78,987/- की प्रतिभूति जमा के अंतर को प्रतिभूति जमा के रूप में लिया गया है और खाते में सुधार किया गया है।
20. जैसा कि एस.ए.आर. में बताया गया है, अनुसूची 4क में 2021-22 में अचल परिसंपत्ति के रूप में ₹ 4.16 लाख की राशि ली गई है।
21. जैसा कि एस.ए.आर. में बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में पीएबी कार्यक्रम के लिए समग्र शिक्षा एकीकृत कौशल के लिए विशिष्ट अनुदान के तहत 640 टी.वी. एन.ए.एस. स्टोरेज सिस्टम की खरीद के लिए ₹ 52.91 लाख की राशि जो 2020-21 में नहीं ली गई थी, 2021-22 में किया गया है जैसा कि अनुसूची 4 में दिखाया गया है।
22. जहाँ भी आवश्यक हुआ, गत वर्ष के आंकड़ों का पुनर्समूहन, पुनर्व्यवस्थित किया गया है।
23. अंतिम लेखा में आंकड़ों को निकटतम रूप में पूर्ण किया गया है।
24. अनुसूची 1-24 संलग्न हैं और 31 मार्च 2022 को तुलन पत्र तथा उसी तिथिको समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखा का अभिन्न अंग धारण करती है।

मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नयी दिल्ली-110 016

**** (प्रस्तुत रिपोर्ट मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार की गई लेखा परीक्षा रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी रूपांतरण ही मान्य होगा) ****

ठ. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के लेखा पर 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1. हमने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (रा.शै.अ.प्र.प.), नई दिल्ली की 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के संलग्न तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्त एवं भुगतान लेखा की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अंतर्गत लेखा परीक्षा की है। इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट को वर्ष 2022-23 तक की अवधि के लिए सौंपा गया है। इन वित्तीय विवरणों में परिषद् के 12 एककों का लेखा शामिल है। इन में से चार एककों के लेखा की लेखा परीक्षा की गई थी तथा रिपोर्ट में टिप्पणियां शामिल की गईं। इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी परिषद् के प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।
2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, श्रेष्ठ लेखा रीतियों, लेखाकरण मानकों और प्रकटीकरण प्रतिमानकों आदि से अनुरूपता के संबंध में लेखा विधियों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) की टिप्पणियां समाविष्ट हैं। कानून, नियमों और विनियमों (स्वामित्व एवं नियमितता) का अनुपालन और कौशल-सह-निष्पादन पहलुओं आदि से संबंधित वित्तीय लेन-देन पर यदि कोई लेखापरीक्षा टिप्पणियां हो तो वे निरीक्षण रिपोर्टों/नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्टों द्वारा पृथक रूप से प्रतिवेदित किए गए हैं।
3. हमने भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा संचालित की है। इन मानकों की अपेक्षा है कि हम लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन में यथोचित रूप से सुनिश्चित करें कि क्या वित्तीय विवरण आर्थिक गलत बयानी से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा के अंतर्गत परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणियों में धनराशियों एवं प्रकटीकरण के समर्थन में साक्ष्यों की जांच शामिल है। प्रबंधन द्वारा प्रयोग किए गए लेखा सिद्धांतों और महत्वपूर्ण प्राक्कलनों के निर्धारण के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के संपूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी इस लेखा परीक्षा में शामिल है। हमें विश्वास है कि यह लेखापरीक्षा, हमारे विचारों को उचित आधार प्रदान करती है।
4. अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि —
 - (i) हमने रिपोर्ट में दी गई टिप्पणी के अधीन सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थी।
 - (ii) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्त एवं भुगतान लेखा शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थूल रूप से विनिर्धारित प्रपत्र में बनाए गए हैं।
 - (iii) हमारी राय में रिपोर्ट की टिप्पणी के अधीन इन बहियों की जांच करने पर यह प्रतीत होता है कि परिषद् द्वारा लेखा बही एवं अन्य संगत रिकार्डों का समुचित रखरखाव किया गया है।
 - (iv) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि —

क. तुलन पत्र

क.1 देयताएँ

क.1.1 वर्तमान देयताएँ और प्रावधान (अनुसूची 3) – ₹ 2069.52 करोड़

उपरोक्त में विविध लेनदारों के ₹ 19.40 लाख के आंकड़े शामिल हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित खातों के प्रारूप के अनुसार, इन शेष राशि को वर्तमान परिसंपत्ति के तहत दिखाया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं और प्रावधानों और

वर्तमान परिसंपत्तियों को ₹ 19.40 लाख से कम बताया गया है। यह 2017-18 से संकेत किया जा रहा है लेकिन प्रबंधन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

सांविधिक देयताओं में कई मदों के तहत ₹ 109.85 लाख (₹ 79.41 लाख अन्य, ₹ 17.53 लाख जी.पी.एफ. प्रेषण, ₹ 3.73 लाख जी.आई.एस., ₹ 2.09 लाख एन.पी.एस., जी.एस.टी. पर ₹ 7.09 लाख टी.डी.एस.) के ऋण शेष शामिल हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित खातों के प्रारूप के अनुसार, इन शेष राशि को वर्तमान परिसंपत्ति के तहत दिखाया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं और प्रावधानों और वर्तमान परिसंपत्तियों को ₹ 109.85 लाख से कम बताया गया है। यह 2018-19 से बताया जा रहा है लेकिन प्रबंधन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

क.2 परिसंपत्तियाँ

क.2.1 अचल परिसंपत्तियाँ (अनुसूची 4) – ₹ 190.38 करोड़

- उपरोक्त में रा.शै.अ.प्र.प. की एक इकाई क्षेत्रीय उत्पादन और वितरण केंद्र (आर.पी.डी.सी.), बेंगलुरु के स्वामित्व वाली भूमि और भवन की लागत शामिल नहीं है। विवरण/रिकॉर्ड रा.शै.अ.प्र.प. के पास उपलब्ध नहीं हैं। विवरण के अभाव में, भूमि और भवन का सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा मूल्यांकन किया गया है और सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा ₹ 64.68 करोड़ के रूप में मूल्यांकित किया गया है (मूल्यहास के बाद भवन का निवल मूल्य: ₹ 3.28 करोड़ और भूमि ₹ 61.40 करोड़)। खातों में भूमि ₹ 1/- के नाममात्र मूल्य पर या सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किए गए मूल्यांकन के साथ लेखाओं की टिप्पणियों में आवश्यक प्रकटीकरण के साथ ली जानी चाहिए।
- क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर में दो कार्यों (नए बालिका छात्रावास का निर्माण और ओपन ऑडिटोरियम का निर्माण) के लिए सी.पी.डब्ल्यू.डी. के पास ₹ 15.06 करोड़ की कुल जमा राशि के खिलाफ ₹ 3.99 करोड़ (फॉर्म 65/दिसंबर 2021) का खर्च था। तथापि उपरोक्त व्यय को अनुसूची 4(ए) में चल रहे पूंजीगत कार्य के अंतर्गत नहीं दिखाया गया था। इसके परिणामस्वरूप चल रहे पूंजीगत कार्य को ₹ 3.99 करोड़ कम बताया गया। वह मद जिसके तहत खातों में राशि दर्ज की गई है, लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किया गया था जिसके कारण टिप्पणी के दूसरे प्रभाव की पहचान नहीं की जा सकी।

क.2.2 ऋण, अग्रिम और जमा (अनुसूची 8) – ₹ 207.57 करोड़

- ऋण और अग्रिम में ₹ 1.49 करोड़ की प्रायोजित परियोजनाओं में डेबिट शेष शामिल हैं, जबकि खातों में रखी गई प्रायोजित परियोजनाओं के विवरण के अनुसार यह राशि ₹ 0.86 करोड़ थी। 2015-16 से संबंधित ₹ 63.47 लाख के अंतर का समाधान किया जाना आवश्यक है। यह 2016-17 से संकेत किया जा रहा है लेकिन रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी।
- ऋण और अग्रिम में क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल के संबंध में डी.ए.वी.पी. के पास ₹ 11.42 लाख की जमा राशि शामिल है, जिसका विवरण रा.शै.अ.प्र.प. के पास उपलब्ध नहीं है। विवरण के अभाव में लेखापरीक्षा राशि का सत्यापन नहीं कर सका। यह 2019-20 से बताया जा रहा है लेकिन परिषद द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।
- उपरोक्त में प्रायोजित परियोजनाओं से ₹ 10.38 करोड़ के अग्रिम शामिल नहीं हैं जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है। इसे खातों में प्रायोजित परियोजनाओं से व्यय के रूप में माना गया है—

विवरण	राशि
एन.सी.एफ. टेक प्लेटफॉर्म के लिए एन.आई.सी.एस.आई. को भुगतान	10,00,00,000
साक्षरता और संख्यात्मक शिक्षा के लिए बच्चों और शिक्षकों के लिए संसाधन सामग्री (प्रिंट) का विकास	3,44,000

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के विकास और निर्माण के लिए टी.एस.जी. की स्थापना के लिए एड.सी.आई.एल. को भुगतान	35,00,000
कुल	10,38,44,000

इसके परिणामस्वरूप ऋणों, अग्रिमों और जमाराशियों को कम बताया गया और वर्तमान देयताओं -प्रायोजित परियोजनाओं को ₹ 10.38 करोड़ से कम बताया गया।

ख. आय एवं व्यय लेखा

ख.1 व्यय

ख.1.1 अन्य व्यय (अनुसूची 21) – ₹ शून्य

विविध देनदारों में ₹ 36.60 लाख शामिल है जो 2004-05 से बकाया है। चूंकि इन देनदारों से वसूली निराशाजनक है, इसलिए लेखा में संदेहास्पद ऋण का प्रावधान किया जाना चाहिए था। ऐसा करने में विफल रहने से अन्य व्यय (संदेहास्पद ऋण का प्रावधान) को ₹ 36.60 लाख से कम दर्शाया गया है और विविध देनदारों को अधिक दर्शाया गया है। इस पर 2012-13 से ध्यान दिलाया जा रहा है परंतु रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

ग. सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि लेखा

ग.1 निवेश (अनुसूची 6) – ₹ 150.93 करोड़

उपर्युक्त में पंजाब वित्तीय निगम (पी.एफ.सी.) के बॉन्ड्स में ₹ 1.60 करोड़ का निवेश शामिल है जो 01.12.2016 को परिपक्व हो चुके हैं। इस राशि को न तो प्राप्त किया गया है और न ही इसका कोई प्रावधान किया गया है। इसके परिणामस्वरूप निवेश में ₹ 1.60 करोड़ अधिक और व्यय को कम दर्शाया गया है। इस मामले को गत चार वर्ष से उठाया गया है परंतु इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेखा पर टिप्पणियों में इस मामले को प्रकट नहीं किया है।

ग.1.2 प्रोद्भूत ब्याज – ₹ 5.51 करोड़

उपर्युक्त में पी.एफ.सी. बॉन्ड में ₹ 1.07 करोड़ के निवेश पर दिसंबर 2016 से मार्च 2022 तक की अवधि के लिए ₹ 1.60 करोड़ का प्रोद्भूत ब्याज शामिल है। यद्यपि बॉन्ड की मूल राशि 01 दिसंबर 2016 को परिपक्व हो चुकी है जो प्राप्त नहीं हुई है, परिषद् इसके ब्याज को मान्यता देती रही है। लेखा में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप प्रोद्भूत ब्याज को ₹ 1.07 करोड़ अधिक और उसी राशि से व्यय (संदेहास्पद देनदारों का प्रावधान) को कम दर्शाया गया है। इस मामले को गत चार वर्षों में उठाया गया है तथापि इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेखा पर टिप्पणियों में इस मामले को भी प्रकट नहीं किया गया है।

घ. सामान्य

घ.1 लेखा का समेकन

रा.शै.अ.प्र.प. के सभी संघटक एकक प्रत्येक माह प्राप्ति एवं भुगतान लेखा तैयार करते हैं और रा.शै.अ.प्र.प. मुख्यालय को समेकन के लिए भेजते हैं। सभी एककों से प्राप्त प्राप्ति एवं भुगतान लेखा के आधार पर, रा.शै.अ.प्र.प. मुख्यालय में वित्तीय वर्ष के अंत में प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा तैयार किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष के अंत में सभी संघटक एककों को लेखा का पूर्ण सेट अर्थात् प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, आय एवं व्यय लेखा और तुलन पत्र तैयार करना चाहिए जिससे रा.शै.अ.प्र.प. के लेखा की बेहतर रिपोर्ट के लिए रा.शै.अ.प्र.प. मुख्यालय में समेकित लेखा तैयार किया जा सके। इस पर 2014-15 से बारंबार

ध्यान दिलाया जा रहा है परंतु रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा अगले वर्ष अनुपालन कर दिया जाएगा, इस आश्वासन के सिवाय कोई उपचारी कार्रवाई नहीं की गई है।

ड. सहायता अनुदान

वर्ष 2021-22 के दौरान रा.शै.अ.प्र.प. को ₹ 407.89 करोड़ (पूँजीगत ₹ 40.00 करोड़ और राजस्व ₹ 367.89 करोड़) का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ जिस में से ₹ 33.30 करोड़ (पूँजीगत ₹ शून्य और राजस्व ₹ 33.30 करोड़) की अनुदान राशि मार्च, 2022 में प्राप्त हुई थी। दिनांक 01 अप्रैल, 2021 को इसका आदि शेष ₹ 43.11 करोड़ (पूँजीगत शून्य और राजस्व ₹ 43.11 करोड़) और 0.31 करोड़ की आंतरिक प्राप्ति थी। इसने ₹ 451.31 करोड़ की कुल उपलब्ध निधि में से ₹ 338.41 करोड़ (पूँजी ₹ 18.67 करोड़ और राजस्व ₹ 319.74 करोड़) का उपयोग किया। रा.शै.अ.प्र.प. ने 31.03.2022 को ₹ 88.15 करोड़ का समर्पण कर दिया और 31 मार्च 2022 तक ₹ 24.76 करोड़ की अव्ययित शेष राशि छोड़ दी।

इसको वर्ष के दौरान शिक्षा मंत्रालय और अन्य एजेंसियों से प्रायोजित/विशिष्ट परियोजनाओं हेतु ₹ 68.04 करोड़ का अनुदान भी प्राप्त हुआ और इन परियोजनाओं में इसका ₹ 27.94 करोड़ का आदिशेष था। कुल ₹ 95.98 करोड़ के अनुदान में से परिषद् ने इन परियोजनाओं पर वर्ष के दौरान ₹ 85.57 करोड़ का व्यय किया जिस से 31 मार्च, 2022 को ₹ 10.41 करोड़ शेष बचा।

च. प्रबंधन पत्र

लेखा परीक्षा रिपोर्ट में जिन कमियों को शामिल नहीं किया गया है उन्हें सुधारक/उपचारी कार्रवाई के लिए एक पृथक रूप से जारी प्रबंधन पत्र द्वारा निदेशक, (रा.शै.अ.प्र.प.) के संज्ञान में लाया गया है।

- पिछले अनुच्छेदों में की गई अपनी टिप्पणियों के अधीन, हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, लेखा बहियों के अनुरूप हैं।
- हमारी राय में और सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कथित वित्तीय विवरणों को लेखा नीतियों और लेखा टिप्पणियों के साथ तथा इस में उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों के अधीन और इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के संलग्नक में उल्लिखित अन्य महत्वपूर्ण मामलों में भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप यह लेखा परीक्षा रिपोर्ट सत्य और उचित परिदृश्य प्रस्तुत करती है।

- क. जहाँ तक इसका तुलन पत्र से संबंध है, यह राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की 31 मार्च, 2022 की कार्य स्थिति को दर्शाता है; और
- ख. जहाँ तक इसका आय एवं व्यय लेखा से संबंध है यह उपर्युक्त तारीख पर वर्ष के अंत में अधिशेष को दर्शाता है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के लिए और उनकी ओर से

स्थान – नयी दिल्ली
दिनांक – 27.10.2022

हस्ताक्षर
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(गृह, शिक्षा एवं कौशल विकास)

ड. पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

रा.शै.अ.प्र.प. की एक आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध है। तथापि रा.शै.अ.प्र.प. की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को निम्नानुसार सुदृढ़ करने की आवश्यकता है—

- वर्ष 2021-22 के दौरान सभी 12 एककों की आंतरिक लेखा परीक्षा की योजना की गई थी, परंतु केवल 05 एककों की लेखा परीक्षा की गई।
- रा.शै.अ.प्र.प. मुख्यालय की लेखा परीक्षा आज तक संचालित नहीं की गई है।
- आपत्तियों के निपटान हेतु समुचित अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई चूंकि 31.03.2022 को 486 आंतरिक लेखा परीक्षा पैरा बाकी थे।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की अपर्याप्तता

रा.शै.अ.प्र.प. की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त नहीं है क्योंकि –

- व्यय नियंत्रण रजिस्टर और अनुबंधों के रजिस्टर का रख-रखाव न करना।
- कुछ परियोजनाएँ पिछले तीन वर्षों से गतिविधिहीन हैं।
- प्रकाशन प्रभाग के खाता संख्या 10137881342 और रा.शै.अ.प्र.प. मुख्यालय खाता संख्या 10137881331 के बैंक समाधान विवरण में भारी मात्रा में असमाधानित राशि है।

3. स्थायी परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

रा.शै.अ.प्र.प. (मुख्यालय) की भूमि एवं भवन का प्रत्यक्ष सत्यापन मार्च 2022 तक किया जा चुका है।

- पुस्तकालय की पुस्तकों सहित रा.शै.अ.प्र.प. (मुख्यालय) की अन्य स्थायी परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन 2016-17 तक किया जा चुका है।
- रा.शै.अ.प्र.प. (मुख्यालय) के पुस्तकालय का भौतिक सत्यापन मार्च 2022 तक किया गया है और 178 पुस्तकों के गुम होने की सूचना है।
- सी.आई.ई.टी., आर.आई.ई. भुवनेश्वर और आरआईई-अजमेर की अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन वर्ष 2021-22 के लिए नहीं किया गया था।
- रा.शै.अ.प्र.प. की शेष 09 इकाइयों के भौतिक सत्यापन के संबंध में सूचना लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी।

4. वस्तु सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

- रा.शै.अ.प्र.प. (मुख्यालय) की स्टेशनरी और उपभोग्य सामग्रियों का भौतिक सत्यापन अगस्त 2021 तक और आर.आई.ई. भुवनेश्वर का वर्ष 2021-22 तक किया गया था।
- रा.शै.अ.प्र.प. (प्रकाशन) का भौतिक सत्यापन सितंबर 2021 तक किया गया था, जहाँ पुस्तकों की 41 प्रतियां कम और 29 प्रतियां अधिक पाई गईं।
- वर्ष 2021-22 के लिए आर.आई.ई. अजमेर की सूची का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।

5. सांविधिक देय के भुगतान में नियमितता

खातों के अनुसार, 31.03.2022 को वैधानिक बकाया के संबंध में छह महीने में आयकर से संबंधित ₹ 43,618/- का भुगतान बकाया था। जबकि, इसे अप्रैल 2022 में जमा किया गया था।

